

JAY BHARAT MARUTI LIMITED

Corporate Office : Plot No. 9, Institutional Area, Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.) T : +91 124 4674500, 4674550 F : +91 124 4674599 W : www.jbmgroup.com

JBML/SE/Q3/23-24

Asst. Vice President, Listing Deptt., **The National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, Plot C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

Scrip Code: JAYBARMARU

Dated: October 06, 2023

The Secretary, **BSE Limited** 25th Floor Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

Scrip Code: **520066**

Sub: <u>Submission of Newspaper Advertisements under Regulation 30 read with Regulation 47 of the</u> <u>SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements of Business Standard (Hindi) in Delhi Edition and Business Standard (English) in Delhi Edition dated October 06, 2023 for the publication of notice of shifting of registered office from NCT of Delhi to the State of Haryana as approved by the members in annual general meeting held on September 16, 2023.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully


For Jay Bharat Maruti Limited

(Ravi Arora) Company Secretary

Encl.: As above.

Works :

Plant 1: Plot No. 5, MSIL, Joint Venture Complex, Gurgaon-122 015 (Haryana) T:. +91 124 4887200, F: +91 124 4887300 Plant II : Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T: +91 124 4935300, F: +91 124 4935332 Plant III : Plot No. 15-16 & 21-22, Sector 3A, Maruti Supplier Park, IMT Manesar, Gurgaon -122 051 (Haryana) T: +91 9999190423, 9899079952 Plant IV : Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T: +91 124 4935300, F: +91 124 4935332 Regd. Office : 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehra Place, New Delhi - 110 019 T : +91 11 26427104-06. F : +91 11 26427100 CIN : L29130DL1987PLC027342 Email Id: ravi.arora@jbmgroup.com



🕂 HDFC BANK Department For Special Operations - 5th Floor, Plot No. 1, nsal Classique Tower, Block J, Rajouri Garden, New Delhi-110027 POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security terest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice Dated 26.06.2023 calling upon the biorower(s) Moli Durga Agencies Private Limited (Borrower), a private limited Company through its Directors Mr. Rajendra Prakash Goel, Mr. Vinay Goel, Mrs. Rekha Goel, Mrs. borrower(s) has borga Agencies Frivate Linited Genover(s), a pivate initiate Company through its Directors Mr. Rajendra Prakash Goel, Mr. Vinay Goel, Mrs. Rekha Goel, Mrs. Nidhi Goel, Mortgagor(s)Mrs. Rekha Goel and Guarantors(s) Mr. Rajendra Prakash Goel, Mr. Vinay Goel, Mrs. Rekha Goel, Mrs. Nidhi Goel to repay the amount mentioned in the Demand Notice Rs. 50,098,474,232. (Rupees Five Corres Ninety-Eight Thousand Four Hundred and Seventy-Four and Palsa Twenty-Three Only) as on 30.04.2023 and Interest thereon w.e.f 01.05.2023 together with future interest and charges thereon within 60 days of the receipt of the said notice. The Borrower(s) / Guarantor(s)/Mortgagors(s), having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagors(s) and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules, on this 30th day of September, 2023 at Delhi. The Borrower(s) / Guarantor(s) / Mortgagors(s), in particular, and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of HDFC Bank Ltd., for an amount of Rs. 5,00,98,474.23- (Rupees Five Corres Ninety-Eight Thousand Four Hundred and Seventy Four and Paisa Twenty Three Only) as on 30.04.2023 and interest thereon w.e.f 01.05.2023 as aforesaid together with expenses and charges etc. The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured assats adeem the secured as

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Description of the Property Part of Property no. 5/43, Khasra No. 642, village, chandrawa Shahdra, Bara Bazar, Shahdra, Delhi-110032 owned by notice S.No Name of the Owner Mrs. Rekha Goe No4 ound floor portion of built-up property no. 360-361, khasra no Mrs. Rekha Goe 642 Ward No. 81. Village. Chandrawali Shahdra, Anaj Mand Shahdra Delhi owned by Noticee No. 4 First and Second floor built up property no. 360-361, khasra no. 642 Ward No. 81, Village, Chandrawali Shahdra, Anaj Mandi, 3 Mrs. Rekha Goel Shahdra Delhi owned by Noticee No. 4 Entire Second floor of property no. IV/1225, old prop 448-B, Khasra Mrs. Rekha Goel 4 No. 1453/624, plot no. 41, gali no. 3 & 4, Bhola Nath Naga Shahdra, Delhi Owned by Noticee no. 4 Place: New Delhi, Date : 30.09.2023 Authorised Officer, HDFC Bank Ltd.

Branch - Sarwar, Distt. - Ajmer (Raj.) Ph. No. 01496-230033, Mob. 8094007055; बैंक ऑफ बडीटा Bank of Baroda E-mail: sarwar@bankofbaroda.com SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY "APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 8 (6)]

"APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 8 (5)]
E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s). Mortgagor (s) and Guarantor(s) that the below described the immovable property mortgaged/Charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on Xa is whate: a 'nd' whatever there' is basis for recovery of dues in below mentioned account/s. The details of Borrower's, Mortgagor/Gurantor's, Secured Assets, Dues, Reserve Price, E-auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below: Name 3. address of Borrower's, Mortgagor/Gurantor's, Secured Assets, Dues, Reserve Price, E-auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below: Name 3. address of Borrower's, Mortgagor/Gurantor's, MS Baloriya Poultry Farm Prop. Shrl Ramswaroog Meli S/o Shri Mangla Mall (Guarantor), Shrl Bhagwan Prased Bhatt S/o Shrl Rame (Ral.), Shrl Durge Ial Mall S/o Shrl Mangla Mall (Guarantor), Shrl Bhagwan Prased Bhatt S/o Shrl Ramestwar Lai Bhatt (Guarantor), Shrl Chand Mall Mill S/o Shrl Mangla Mall (Guarantor), All Guarantor', All Guarantor', All Guarantor', All Guarantor', All Guarantor', Shrl Anney I, Mall S/o Shrl Mangla Mall (Guarantor), All Guarantor', All Guarantor', All Guarantor', Shrl Chand Mall Mill S/o Shrl Mangla Mall (Guarantor), Shrl Darya I, Mall Guarantor', All Guarantor', A

the mei faile und	wers conferred under Section 13(12) Read With Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice (S) Issued by he Authorised Officer of the Company to the Borrower(S) / Co-Borrower(S) / Guarantor(S) mentioned herein below to repay amount nentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of said notice as per the details given in below table: The borrower having ailed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(S) / Co-Borrower(S) / Guarantor(S) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under Sub-Section (4) of the section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002.							
S. ¥o.	Name of the Borrower (S) / Co-Borrower (S) / Guarantor(S) & (Loan Account Number)	Date & Amount of Notice u/s 13(2)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Date of Possessior				
	Badri Lal, Rajkumari, Deepak & Manoj, Guarantor- Balwant Singh, LAN No MHL06993		Patta No. 21, 22 & 23, Gram & Gram Panchayat Surajpura, Panchayat Samiti Jawaja, Dist. Ajmer, Rajasthan. Total Admeasuring Area (255+244+244) = 743 Sq. Yds.	3/Oct/23				
2.	Ghanshyam Sen, Parasmal, Shanti &	1-Jan-22	Patta Number 8, Gram & Gram Panchayat Badkochra,	3/0-04/23				

41-2611999.8

APPENDIX IV [See Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable property) /hereas, the undersigned being the Authorized Officer of Mentor Home Loans India Ltd. (Formerly known as Mentor India Limited) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of

HEAD OFFICE-

ct/23 Rs.687383/- dues Panchavat Samiti Jawaia, District Aimer, Raiasthan, Area lukesh. Guarantor- Rakesh Kumar. as on 29-Dec.-21 148.5 Sq. Yards LAN No.- 5013619 The borrower(S) / Co borrower(S) / Guarantor(S) attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of

ise, B-9, Govir

lalour-302004

DCB BANK

me available, redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the imited) for an amount, amount mentioned here under with interest thereon. Authorised officer. Mentor Home Loans India Ltd. (Formerly known as Mentor India imited) for an amount, amount mentioned here under with interest thereon. Authorised officer. Authorised officer, Mentor Home Loans India Ltd. (Formerly Known as Mentor India Limited) Date: 06-10-2023 Place: Almer

	Zonal Office: 2nd Floor, Arcade International, Orbit Mall, Civil Lines, Ajmer Road, Jaipur-302006						
Se No m be m	E Auction Sale Officers and room, Neutre Incent and any other wan, other wan, other wan, other incert and room objects and Enforcement of Security Interest Act 2002, read with provise to Rule 8(6) read with rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor (s) that the below described immovable assession of which has been taken by the Authorised Officer of UCO Bank Secured Creditor, will be sold on 'AS is where is', As is what is', and 'Whatever there is' on 27.10.2023 from 1.00 PM to 5.00 PM for recovery of Bank's Dues as mentioned below proceedings as upenses due to the UCO Bank Secured Creditor from Following (Borrowers/Mortgagors/Guarantors). The whole schedule of Auction Proceedings is as under:						
Di	etails of E-Auction:- Date of E	-Auction: 27/10/2023 Time: 1.00 PM 00 AM to 1:00 PM, Date of EMD Subm	to 5.00 PM, Date of Vis ssion: 27/10/2023				
S. No	Name of the Borrower	Description of Secured Assets	Outstanding Amount as on Date	Reserve Price EMD Amount	Date of Demano Notice		
Ľ'	Branch: NEI, Jaipur (1796) NEI Ltd., Khatipura Road, Jaipur-302006. E-mail:khatip@ucobank.co.in	All part & parcel of Residential Flat measuring 480 Sq. Feet (Super Built up	As on 30.09.2023	Rs. 950000/-	31.05.2021		
	Contact Branch Head: A.K. Mishra- 9650349966	Area) situated at: Flat No. J-610, Sixth Floor, 'J' Block, Hanging Garden, Jaisinghpura Road, Bhankrota, Aimer	31/03/2021) plus further	Rs. 95000/-	Date of Possession		
	Mrs. Manju Sain W/o Subhash Chand Sain, Mrs. Rukmani Devi Sain W/o Ram Narayan Sain	Road, Jaipur Property Owner: Mrs. Manju Sain Present Possession Type: Physical	interest w.e.f. D1.D4.2021, cost and other expenses	Bid incr. Amt. Rs. 10000/-	Notice: 07.05.2022		
co in an sa de	nditions: 1. The properties are being sol the schedule herein above have been swerable for any error, misstatement or le will be online through e-auction portz posit 25% of the Bid amount, less EMD	A Conditions prescribed in the Security Intered don'As is Whereis", As is what is" and "What stated to the best of the Information of the A omission in the proclamation. 3. The secured as al https://www.mstcecommerce.com/auctionh amount deposited, on the same day or not late	ver there is". 2. The particulars uthorized Officer, but the Auth sset will not be sold below the r ome/lbapi/index.jsp 5. The suc r than next working day and rei	of Secured As norized Office eserve price. 4 cessful bidder maining amou	sets specified r shall not be I. The auction r shall have to int i.e. 75% of		
th hti	e amount deposited will be fo	om the date of confirmation of sale. In case of d or feited. 5. The bidders are advised on home/ibapi/index.jsp for detailed terms and c Head. Date: 04.10.2023 Place:	to go through the port conditions. 7. For more details	al https://i (ifany) prospe	bapi.in/ or		

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

MENTOR

HOME LOANS

The undersigned being the authorized officer of the DCB Bank Ltd., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(2) reac with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice as mentioned in below table calling within namec borrowers, co-borrowers/ guarantor to repay the amount mentioned in the notice being an amount as detailed mentioned in table giver hereunder within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower and Co-Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, Co-Borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Ordinance read with Rule 9 of the said Rules on the dates mentioned as below

The borrower. Co-Borrower/ guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the DCB Bank Ltd., for an amount as mentioned in the demand notice and furthe nterest thereon

Agreement No	Borrower, Co-borrower, Guarantors & Legal Heirs Name	Date & Amount of Demand Notice	Property Description	Date of Possession
DRHLGHZ00490102	Gopal Sharma, Manju	Rs.13,15,575.95/- Due as on 03-07-2023	Part of Khata No00142, Part of Khasra No 547, Village-Sarfabad, Pandit Colony, Sec 73, Pargana & Tehsil-Dadri, Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh - 203207	
	Komlash Kumar Cingh	10.02.0002./	Khaava Na 010/1 Villaga Almavour	20.00.2022

RELIANCE ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED ReLIANCE 11th Floor, North Side, R-Tech Park, Western Express Highway, Notice for sale of Secured Assets [See Rule 6(2) read with rule 8(6)] Asset Reconstruction E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securit

nterest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable/mova

cated to the Secured Creditor, the physical poss on of which has been taken by the Authorised Officer of Secure Creditor.

That, Religare Housing Development Finance Corporation Ltd. has vide Assignment Agreement dated 29.03.2019 assigned the financial asse debts of your loan accounts along with its right, title and interest together with underlying securities in favour of Reliance Asset Reconstruction Company Ltd. (RARC) trustee of RARC 059 (RHDFCL HL) Trust. By virtue of the said assignment, we have become your secured creditor ar lawfully entitled to recover the entire contractual dues.

Therefore, the undersigned Authorised Officer of Reliance Asset Reconstruction Company Ltd., hereby give you notice of 15 days that the below mentioned mortgaged properties shall be sold by the undersigned by way of E-auction on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is to 03.11.2023, for recovery of amount mentioned in demand notice u/s 13(2) plus future interest and cost due to Reliance Asset Reconstruction Company Limited as a trustee of RARC 059 (RHDFCL HL) Trust Secured Creditor from mentioned borrowers/mortgagers. The reserve price and the earnest money deposit (EMD) are as under:

	DESCRIPTION OF MORTGAGED PROPERTY:					
Lot No.	Borrowers name, Property Details, demand notice and possession date	Reserve Price	EMD			
1.	SATISH KUMAR SHARMA S/O CHHOTEY LAL SHARMA & REKHA GOUR W/O SATISH KUMAR SHARMA BOTH R/O 148, BONZA SHIBBANPURA, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201001 ALSO AT: PLOT KHASRA NO. 380, SECOND FLOOR, SITUATED AT VILLAGE INDERGARHI, PARGANA & TEHSIL DADSNA, DISTT. GHAZIABAD PROPERTY: ALL PIECE AND PARCEL OF KHASRA NO. 380, SECOND FLOOR, SITUATED AT VILLAGE INDERGARHI, PARGANA & TEHSIL DASNA, DISTT. GHAZIABAD (ADMEASURING ABOUT 65 SQ. MTRS.) Demand Notice: Rs. 18,39,125.14/- (Rupees Eighteen Lakh Thirty Nine Thousand One Hundred Twenty Five & Paise Fourteen Only) as on 09.03.2018 Plus Future Interest & Costs Possession Data: 30. 09.2021	Rs. 7,67,093/-	Rs. 76,709/-			
2		De	Da			

	operty inspection Date & Time :- 18-10-2023; 12.00 Noon to 04.00 Pi te & Time of E-auction: 31-10-2023 02.00 Noon to 05.00 P.M. (With min. each)	
	st Date & Time for Submission of EMD and Document by 30-10-2023	upto 4:00 PM
Sr. No.	Give Short description of the immovable Property with Known encumbrances, if any	Reserve Price, EMD and Bid Increase Amount
1.	Residential Property Situated at Plot No. 04, Ward No. 2, Link Road, Sarwar Distt. Ajmer (Raj.) Measuring 595.86 Sq. Mt. in the	<u>Reserve Price</u> Rs. 42,33,694/ -
	name of Shri Prahlad S/o Shri Mangla Mali, Shri Dahrmi Chand Mali S/o Shri Mangla Mali, Shri Durga lal Mali S/o Shri Mangla	<u>EMD</u> - Rs. 4,23,370/-
	Mali, Shri Chand Mal Mali S/o Shri Mangla Mali Bounded by :- On the East by Plot No. 1 to 3 & Rasta, On the West by House of Shri Prahlad Balu Gopal, On the North by Agriculture Land, On the South by Shop of Smt. mangi & Open Land Encumbrances: - Nat known	<u>Bid Increase Amouni</u> - Rs. 10,000/-
2.	Residential Property Situated at Plot No. 01, Ward No. 2, Link Road, Sarwar Distt. Ajmer (Raj.) Measuring 181.99 Sq. Mt. in the name of	<u>Reserve Price</u> Rs. 10,08,045/-
	Shri Ramswaroop Mali S/o Shri Nandlal Mali Bounded by :- On the East by Other Land, On the West by Plot No. 4, On the North by Plot	<u>EMD</u> - Rs. 1,00,805/-
	No. 2 & Other Land, On the South by Remaing Part of Plot No.1 & Rasta, Encumbrances: - Not known	Bid Increase Amount- Rs. 10,000/-
Fo hti	Ite: Regarding Above Property S.A. No. 207/2023 is Pending with DRT. r detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link pro lps://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and (https://biapi.in spective bidders may contact the authorised officer on Phone No.:	vided in). Also,

GROW YOUR BUSINESS WITH BUSINESS STANDARD -THE SMART CHOICE TO REACH **THOSE WHO MATTER!**

Write to sales@bsmail.in now, for a customised solution to your business requirements

Business Standard Insight Out

	e: 06.10.2023 ce: UP				iorized Officer Bank Limited
3.	DRMHGHZ00435455	CHANDER REKHA	Bs.11.49.304.61/-	Part of Khasra No 206/19, Raghunati Colony Vill-Akbarpur Bahrampur, Pargana Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201009	
		(since Deceased), Vijendra Kumar Singh and Rekha Devi		Behrampur, kharati Nagar, Loni, Ghaziabao Uttar Pradesh- 2011 02	

THE ROTAK MAHINDRA BANK LTD, PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE porate Identity No. L65110MH1985PLC038137). Registered Office: - 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbal -400 051. ional Office: Kotak Mahindra Bank Ltd., 7th Floor, Ambadeep Building, 14 K.G.Marg, New Delhi-110001

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower/Co-Borrower/Couarantor/Mortgagor that the below described immovable property mortgaged to Kotak Mahindra Bank Ltd, and the Physical Possession of which has been taken over by the Authorised Officer of Kotak Mahindra Bank Ltd, will be sold on "AS IS WHERE IS" "WHATEVER THERE IS" AND "AS IS WHAT IS" basis. Offers are invited to take part in e-auction through the Web Portal of our e-Auction Service Partner, MS-C1 India PVL Ltd (www.c1india.com) i.e https://www.bankeauctions.com by the undersigned for sale of the immovable property of which particulars are given below :-

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) / Mortgagor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable properties		Date of inspection of immovable
1. M/s B S Engineering Works	07/09/2020	ALL THE PARTS AND PARCEL OF THE PROPERTY	Rs. 38,08,800/-	property
Through its Proprietor Mr. Veer	Rs.32,26,793/-	BEARING ADDRESS : "Plot No. 6, Old MCF No.	(Rupees Thirty Eight	17/10/2023
Singh (Borrower), 2.Mr.	(Rupees Thirty	1180, New MCF No. 2740, forming Part of Kila No.	Lacs Eight Thousand	1100 hrs - 1400 hrs
Amandeep Kaur (Guarantor),	Two Lacs Twenty	26/10, 17/1, Gali No. 273, Village- Gonchhi, Colony	Eight Hundred)	Date/ time
3.Mrs. Nirmal Kaur	Six Thousand	known as Parvatiya Colony, Tehsil- Ballabgarh,	Earnest Money	of Auction
(Guarantor), 4. Mr. Veer Singh	Seven Hundred	Faridabad, Haryana- 121004, measuring 100 square	Deposit (EMD)	27/10/2023
(Mortgagor) (Loan Account No.	Ninety Three Only)	yards." Type of Possession:-Physical	10% of Bid Amount.	from 1100 hrs to
BBA_WC 4211955838)				1200 hrs

Last Date for Submission of Offers / EMD:- 26/10/2023 till 5.00 pm.

ortant Terms & Conditions of Sale:

- (1) The Auction is conducted as per the further Terms and Conditions of the Bid document and as per the procedure set out therein. Bidders may as through

- The Auction is conducted as per the further Terms and Conditions of the Bid document and as per the procedure set out therein. Bidders may go through the website of our E-Auction Service Provider, Mis.C1 India Pvt Ltd I.e. https://www.bankeauctions.com___documents, the details of the secured asset put up for e-Auction and the Bid Form which will be submitted to the authorized officer at the branch officer agronal documents, the details of the secured asset Put up for e-Auction and the Bid Form which will be submitted to the authorized officer at the branch officer agronal offices as provided herein above;
 All the intending purchasers/bidders are required to register their name in the Web Portal mentioned above as https://www.bankeauctions.com and generate their User ID and Password in free of cost of their own to participate in the e-Auction on the date and time aforesaid;
 For any enquiry, information, support, procedure and online training on e-Auction, the prospective bidders may contact the M/s C1 India Pvt Itd Department of our e-Auction Service Partner M/s. Vinod Chauhan, through Tel. No.: +91 7291971124,25,26___ Mobile No.: 9813887931 & E-mail ID: dehi@c1india.com & support@bankeauctions.com;
 To the best of knowledge and information of the Authorised officer, there is no encumbrance in the property/les. However, the intending bidders may inspect the property and its documents as mentioned above or any other date & time with prior appointment and they should make their own independent inquiries regarding the encumbrance, tille of property/ises put on -Auction advertisement does not constitute any commitment or any representation of KMBL. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to KMBL. The Authorised officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/right/s/uses;
- claims/nghts/dues; For participating in the e-Auction, intending purchasers/bidders will have to submit/upload in the Web Portal (https://www.bankeauctions.com) the details of payment of interest-free refundable Earnest Money Deposit (EMD) of the secured asset as mentioned above by way of Demand Draft in favour of 'Kotak Mahindra Bank Limited' payable at Delhi along with self-attested copies of the PAN Card, Aadhaar Card, Residence Address Proof, Board Resolutions in case of company and Address Proof as specified above along with the requisite bid/lenderform in this regard.

The Source of Company and Audress Troot as specified above along with the requisite doublender from in this regard. The Borrower (s) Montgager(s) Guarantor(s) are hereby given STATUTORY 15 DAYS NOTICE UNDER RULE 6(2), 8(6) & 6(1) OF THE SARFAESIACT to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with upto date interest and expenses with in fifteen days from the date of this notice falling which the Secured Asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. In case there is any discrepancy between the publications of sale notice in English and Vernacular newspaper, then in such case the English newspaper will supersed the vernacular newspaper and it shall be considered as the final copy, thus removing the ambiguity. If the borrower/guarantors/mortgagers pays the amount due to Bank, in full before the date of sale, audion is liable to be storped. uction is list le to be stopp

For detailed terms and conditions of the sale, kindly visit our official website https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html or contact the Authonised Officer Mr. Sudhir Yadav @9999765233 and bank officer Mr. Ashok Motwani @ 9873737351 at above mentioned Regional office of Bank.

mi. Schullt reader (gesses rocks) and bank onicer MT. Ashok Morwani (g 96/3/3/35) at above mentioned Regional office of Bank. Special Instruction: e-Auction shall be conducted by our Service Provider, M/s. C1 India Pvt Ltd on behalf of Kotak Mahindra Bank Limited (KMBL), on pre-specified date, while the bidders shall be quoting from their own home' offices/ place of fiheir Bid as per their choice above the Reserve Price. Internet connectivity and other paraphernalia requirements shall have to be ensured by bidders themselves. Please note that failure of Internet connectivity (due to any meason whatsoever it may be) shall be sole responsibility of bidders and neither KMBL nor C1 India Pvt (ta shall be responsible for these unforeseen circumstances. In order to ward-off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements/ alternatives whatever required so that they are able to circumvent such situation and still be able to participate in the e-Auction successfully. However, it is requesited to the Bidder(s) not to wait till the aist moment to quote/mprove his/ her Bid to avoid any such complex situations. Place:- New Delhi Date: 06.10.2023 Sd/- Authorised Officer, Kotak Mahindra Bank Ltd.

 \mathbf{O}

2.	AMIT KUMAR PAL S/O RADHEY SHYAM PAL AND SANGEETA PAL W/O AMIT KUMAR PAL BOTH R/O SG- 67/18 SASTRI NAGAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201001 ALSO AT: FLAT NO. FF-2, FIRST FLOOR, WITHOUT ROOF RIGHTS, PLOT NO. G-23-B, KH. NO.1546, RESIDENTIAL COLONY, KESHAV KUNJ. VILL RAISHPUR. PARGANA DASNA, DISTT GHAZIABAD, UTTAR PRADESH PROPERTY: FLAT NO. FF-2, FIRST FLOOR, WITHOUT ROOF RIGHTS, PLOT NO. G-23-B, KH.NO.1546, RESIDENTIAL COLONY, KESHAV KUNJ, VILL. RAISHPUR, PARGANA DASNA, DISTT GHAZIABAD, UTTAR PRADESH (ADMEASURING ABOUT 45.985 SQ.MTRS. I.E. 495 SQ.FTS.) Demand Notice: Rs. 14,04,355.4/- (Rupees Fourteen Lakh Four Thousand Three Hundred Fifty Five & Paise Fifty Four Only) as on 09.05.2018 Plus Future Interest & Costs Possession Date: 12.10.2021	Rs. 6,50,867/-	Rs. 65,087/-			
3.	MANISH SHARMA (BORROWER) AND MEENU SHARMA BOTH R/O F 359, SECTOR- ALPHA 2, RAMPUR JAGIR, GREATER NOIDA, NDIDA, UTTAR PRADESH-201306 ALSO AT: FLAT NO. GF-6, KHASRA NO. 178, PLOT NO.63 & 64, RESIDENTIAL COLONY PRAGYA VIHAR, SAHAKARI AWAS SAMITI LTD., VILLLAGE AKBARPUR BAHRAMPUR, PARGANA LONI, TEHSIL & DISTT. GHAZIABAD, UTTAR PRADESH ALSO AT: C/O RADHEY KRISHNA MARBLE SHOP NO.14-15, SAI MANDIR MARKET, VILL-TIGARI, GREATER NOIDA, NOIDA, UTTAR PRADESH-201306 PROPERTY: FLAT NO. GF-6, KHASRA NO. 178, PLOT NO.63 & 64, RESIDENTIAL COLONY PRAGYA VIHAR, SAHAKARI AWAS SAMITI LTD., VILLLAGE AKBARPUR BAHRAMPUR, PARGANA LONI, TEHSIL & DISTT. GHAZIABAD, UTTAR PRADESH (ADMEASURING 50 SQ. YDS.). Demand Notice : Rs. 9,86,864.00'. (Rupees Nine Lakh Eighty Six Thousand Eight Hundred Eighty Four Only) as on 10.08.2018 Plus Future Interest & Costs Possession Date: 21-03-22	Rs. 4,84,276/-	Rs. 48,428/-			
	ction of Property : 31.10.2023 from 11.00 A.M. to 02.00 P.M. Jate for bid submission : 01.11.2023 till 3.00 PM					
1. Th 2. E- 3. Ba arr 4. Pr +4 5. Ea In 5. Ea In 6. Th 8. If 9. Th 10. Th 10. Th 11. Th 12. Th 13. As	Last date for bid submission : 01.11.2023 till 3.00 PM Date of e-auction : 03.11.2023 between 11.00 AM to 1 P.M with extension of 5 minutes each TERMS AND CONDITIONS OF SALE: I. The property shall not be sold below the reserve price and sale is subject to the confirmation by RARC as a secured creditor. Z. E-auction will be conducted ONLINE through M/s. C1 INDIA PVT LTD at Plot No 68 Gurgaon Haryana pin Code 122003. Before participating in E- auction, the intending bidders should hold a valid e-mail id and register their names at portal <u>www.bankeauctions.com</u> and get their User ID and password from M/s. C1 INDIA PVT LTD. Prospective bidders may avail online training on E-Auction from M/s. C1 INDIA PVT LTD., (Contact Person : Mr. Vinod Chauhan on Mobile +41 981387931, <u>Delhi@c1india.com or Support@bankeauctions.com</u> (Helpline No 7291981124,25,26). Earnest Money Deposit (EMD) shall be deposited through RTGS/NEFT fund transfer to Current Account No. 6742557088 Name of the Bank: Indian Bank Branch: Santacruz West Branch Mumbai, 400054, Name of the Beneficiary: RARC 059 (RHDFCL HL) Trust, IFSC Code: IDIB000S010. Please note that the Cheques/Demand Draft shall not be accepted. Bidders may improve their further bid amount in multiple of Ra.5000 per lot. The successful bidder shall deposit 25% of the bid amount/sale price (including EMD) immediately after declaration of successful bidder. The successful bidder fails to deposit sale price as stated above, all deposits including EMD will be forfeited. The EMD amount of unsuccessful bidders will be returned without interest, after the closure of the E-auction sale proceedings within Seven days. IO. The parti					
	For any other information, please contact at 18001039711 / 18602664111 / 18003099711may be co STATUTORY 15 DAYS' NOTICE UNDER RULE 6(2), 8(6) & 9(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMEN		02			
ancilla shall I liberty Guara IN TH within days whate claim	STATUTORY IS DAYS' NOTICE UNDER RULE (2), 8(3) & 9(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) NULES, 2002 The Borower/Co-Borowers/guarantors/mortgagers are hereby notified to pay the sum as mentioned above, along with up to date interest and ancillary expenses before E-auction, failing which the e-auction of mortgaged property mentioned above shall take place and balance dues if any shall be recovered with interest/cost. In Case of no bid received in the auction sale on the date fixed for auction, the secured creditor shall be at liberty to sale this property by way of private treaty on or above the reserve price fixed above to any prospective buyer. Borower/Co-Borrowers/ Guarantors/Mortgagers are hereby called upon to SHIFT/REMOVE ALL HOUSEHOLD ARTICLES / PERSONAL BELONGINGS IF ANY LYING (Burnot the secure) and the secure of this notice. On failure to shift household articles/personal belongings within stipulated period of 7 (seven) days from the date of this notice, the company shall be constrained to remove/shift / dispose off the same on "as is where is, as is what is and whatever there is basis" at Borrower/Co-Borrowers/guarantors/mortgagers risk, responsibilities & cost. Company shall not be responsible for any claim raised by any party in this regard. Place: DelhI					
	06.10.2023 Reliance Asset					
Note:	Amount paid if any after issuance of Demand Notice under Section 13(2) of SARFAESI Act, 2002, would be re les payable at the time of realization/settlement.					

earc एनकॉर एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गंचवीं मंजिल, प्लॉट नं. 137, सेक्टर-44 | गुड़गाँव-122002 दूरभाषः 0124-4527200

नियम 8(1) कब्जा सूचना

चूंकि

8

. एनकॉर एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकॉर एआरसी) के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अधोन तथा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत **दिनांक 05.07 2023** को एक मांग सचना जारी की गई थी. जिसमें कर्जदारों मैसर्स न्यू टेक इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशकों श्री राजेश अरोरा एवं श्रीमती सुमन अरोरा (कर्जदार), श्री राजेश अरोरा (सह-कर्जदार/गिरवीदाता), श्रीमती सुमन अरोरा (सह-कर्जदार/गिरवीदाता) को इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर में उल्लेखित रकम दिनांक 19.03 2023 की स्थिति के अनुसार रु. 30 22,86,784/-रेण्यये तीस करोड़ बाईस लाख छियासी हजार सात सौ चौरासी मात्र) के साथ चुकता/वसूर्ल की वास्तविक तारीख तक अनुबंधकीय दर पर ब्याज की रकम चुकता करने को कहा गया था। कर्जदार, सह-कर्जदारों, गारंटीदाताओं तथा गिरवीदाताओं द्वारा उक्त रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एनकॉर एआरसी के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोंहस्ताक्षरी द्वारा कर्जदारों तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम. 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा वर्ष 04 अक्टूबर, 2023 को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है।

विशेष तौर पर कर्जदार. सह-कर्जदारों, गारंटीदाताओं तथा गिरवीदाताओं तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें ाथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा दिनांक 19.03.2023 की स्थिति के अनुसार रु. 30,22,86,784/- (रुपये तीस करोड़ बाईस लाख छियासी हजार सात सौ चौरासी मात्र) ठ साथ चुकता/वसूली की गई रकम, यदि कोई है, के समायोजन के उपरांत दिनांक 20.03 2023 ते चुकता/वसूली की वास्तविक तारीख तक अनुबंधकीय दर पर ब्याज की रकम के लिए **एनकॉर** एआरसी के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रत्यामुत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

- मॉडल टाउन रेसिडेंशियल स्कीम (वर्तमान में नॉर्थ-एक्स मॉडल टाउन के नाम से ज्ञात), दिल्ली-110009 स्थित सम्पत्ति सं. 11 की सम्पूर्ण चौथी मंजिल, साथ में छत का अधिकार तथा स्टिल्ट पार्किंग (भूतल पर) का 1/2 जीवमाजित सिरसा, भूमि का परिमाप 300 वर्ग मीटर, (I) श्री राजेश अरोरा (कथित सम्पत्ति की चौथी मंजिल में आधा अविभाजित हिस्से के लिए) एवं (॥) श्रीमती सुमन अरोरा (कथित सम्पत्ति की चौथी मंजिल में आधा अविमाजित हिस्से के लिए)। चौहदी निम्नानुसारः उत्तर में: 80 फीट चौड़ी मुख्य सङ्क, दक्षिण में: प्लॉट नं. 10, मॉडल टाउन, पूर्व में: प्लॉट नं. 32, मॉडल टाउन, पश्चिम मेंः प्लॉट नं. 12. मॉडल टाउन।
- गारेवन ना रुगा है। हि. जावत राजा हिस्सात पूर्ण स्वामित्व वाली निर्मित सम्पत्ति सं. 2.1 निकोल्बान रोड, कश्मरी गे ट. दिल्ली में स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली निर्मित सम्पत्ति सं. 1/778, परिमाप 55.45 वर्ग यार्ड अथवा 46.67 वर्ग मीटर, श्री राजेश अरोरा द्वारा मालिकाना प्राप्त तथा चौहदी निम्नानुसारः उत्तर मेंः सड़क, दक्षिण मेंः कथित सम्पत्ति का शेष हिस्सा, पूर्व में: अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में: शेष हिस्सा।
- 2.2 निकोलशन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 में स्थित न्यू टेक इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मालिकाना प्राप्त पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्सा निर्मित सम्पत्ति सं. 1/778, क्षेत्र का परिमाप 142.86 वर्ग यार्ड (नीचे से ऊपर तक साथ में उसका छत/टेरेस का आकाश तक अधिकार) तथा चौहदी निम्नानुसार: उत्तर में: सड़क, दक्षिण में: सम्पत्ति नं. 1/775, पूर्व में: सम्पत्ति नं. 1/777, पश्चिम में: कथित सम्पत्ति नं. 1/778 का शेष हिस्सा।
- 2.3 निकोलशन रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 में स्थित श्री राजेश अरोरा द्वारा मालिका प्राप्त निर्मित सम्पत्ति सं. 1/778 का हिस्सा, क्षेत्र का परिमाप 106.67 वर्ग यार्ड (नीचे से ऊपर तक साथ में उसका छत/टेरेस का आकाश तक अधिकार) तथा चौहद्दी निम्नानुसारः उत्तर मेंः कथित सम्पत्ति का शेष हिस्सा, दक्षिण मेंः सम्पत्ति नं. 1/775, पूर्व मेंः सम्पत्ति नं. 1/777, पश्चिम में: कथित सम्पत्ति का शेष हिस्सा।

हस्ता/- (सौमित्र आचार्य) अधिकृत अधिकारी **दिनांकः** 04.10.2023 स्थानः नई दिल्ली एनकॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

ऋण वस्तूली अधिकरण, चण्डीगढ़ (डीआरटी 2) एससीओ ३३-३4-३5 प्रथम तल, सेक्टर−17ए, चण्डीगढ़ (३सरे एवं 4थे तल पर भी अतिगिक्त स्थान आवटित)		क्र.स्था/नि/१४/कावि/365/ दि. 04/10/2023
केस नं, ओए.⁄1096/2017 ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उपनियम (2ए अधिनियम की धारा 19 की धारा (4) के तहत समन ईएक्सएच नं. : 20564 केनग बैंक	१) के साथ पठित	Reliance Asset Reconstruction जबकि, रिलायंस असेट रिकंप्ट्रवरान कम्पन से कार्य करते हुए विलीय आलियों का प्र
बनाम बीसीएल होम्स लिमिटेड एवं अन्य		नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के और गारंटरों से बकाया राशि का भुगतान
सेवा में, (s) श्री सिद्धार्थ चौधरी निवासी मकान नंबर बी 601, राधा कृष्ण अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 23, सेक्टर 7, हारका, नई दि (6) श्री अवनीण मनाल पुत्र स्व. चंदन सिंह मनसल निवासी मकान नंबर 507 एच ब्लॉक, जयपुरिया सनराइज ग्रीन 12 ए, अहिंसा खंड इंद्रापुरम् प्रदेश। (7) श्री परमाल सिंह पुत्र स्व. राम सिंह	(प्रतिवादी – 6)	कर्जवार और गारंटर राशि चुकाने में विक नियम 8 के साथ पठित उनस अधिनियम व कर लिया है। एतवद्वारा, विशेष रूप से कर्जवार एवं गारं में कोई भी संव्यवहार रिलायंस असेट रिक कर्जवार का ध्यान, प्रत्यामूत आरितयों आकृष्ट किया जाता है।
निवासी फ्लैट नंबर 201बीँ, जीएच–30, सेक्टर 20, पंचकुला, हरियाणा। (13) श्री राकेश सिंगला निवासी मकान नंबर 257 एमआईजी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कालका, जिला पंचकुला, हरिया (14) श्रीमती संगीता सिंगला	(प्रतिवादी−13) णा। (प्रतिवादी−14)	कर्जदार/गारंटर कर्जदार/सह–कर्जदारों का ना और उनका पता – नरेश कुमा
निवासी मकान नंबर 257 एमआईजी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कालका, जिला पंचकुला, हरिया (21) श्री राज मोहन पुत्र स्व. चीनू स्वामी निवासी मकान नंबर 548, सनलाइट कॉलोनी 1, महारानी बाग, दिल्ली। (27) श्री विवेक राठौड़	णा। (प्रतिवादी – 21) (प्रतिवादी–27)	योगेश कुमार आर्य, दयानंद शिक्ष संस्थान – कला रोड, विकास नगर रेवाड़ी, हरियाणा–123401
निवासी मकान नंबर 581 जीएफ, शक्ति खंड-4, इंद्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। (28) श्र ीमती ऋघा राषय निवासी मकान नंबर 581 जीएफ, शक्ति खंड-4, इंद्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। (31) श्री सुखीर कुमार श्रीवास्तव निवासी मकान नंबर एसकेडी 1009, शिप्रा कृष्ण विस्टा, इंद्रापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।	(प्रतिवादी – 28) (प्रतिवादी – 31)	ऋण खाता सं. : 18913800002 स्वीकृत ऋण राषि रू. 24,48,475 / – (रू. चौबी लाख अड़तालीस हजार चार स पचहत्तर मात्र)
(34) श्री मनीष शर्मा निवासी मकान नंबर ए302, हैप्पी होम आपार्टमेंट, प्लॉट 12ए, सेक्टर 7, हारका, नई दिल्ली।	(प्रतिवादी – 34)	

कान नंबर ए302, हैप्पी होम अपार्टमेंट, प्लॉट 12ए, सेक्टर 7, द्वारका, नई दिल्ली

(प्रतिवादी – 35)

(35) श्री मोनिका शर्मा

	Cofo	rge C	oforg	e Limited		
	Regd Office: 8, Bal New Email: investor	/ Delhi-110019. F	Floor, Guru I Ph: 91 (11) 4 ebsite: https	Ravi Das Marg, Kalkaji, 1029297 :://www.coforge.com		यूको बैंक निम्नलि 1. जेम पोर्टल के व की आपूर्ति, स्थ
report	e is hereby given that	t the following sh he shareholder/s.	are certifica The shareh	ates issued by the Cor older/s has thereof appli		 जेम पोर्टल के आपूर्ति, स्थापन जेम पोर्टल के 5 की संख्या में
Follo No.	Name of the Registered holder	Jointholder 1	Certificate No.	Distinctive Nos.	No. of Shares	किसी भी विवरण देखें। दिनांकः 06.10.2
388	Anupam Pandey	Jyotish Pande	391	10666722 - 10667058	337	स
	, ,	,	6261	39162982 - 39163149	168	
2985	Vipul Kumar Mittal	N/A	3014	10970459 - 10970460	2	
951	Sutinder Mahajan	N/A	6602	39186313 - 39186340	28	
178	Anima Dixit	N/A	171 6098	10624812 - 10624923 39146567 - 39146622	112 56	
1987	Waishalee Dnyaneshvar Hadadare	Dnyaneshvar Ramrao Hadadare	2010	10868176 - 10868343	168	
6040	Samyak Sanjoy Chakrabarty	N/A	8316	45063638 - 45063640	3	ear
Any person who has claim in respect of the above shares should communicate the same to the Company at its Registered Office (at above address) within 15 (fifteen) days from the date of this advertisement. The Company shall thereafter proceed to issue duplicate share certificate/s in respect of these shares. Thereafter any person dealing with such share certificate/s will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner. For and on behalf of Coforce Limited					5वां तल, प जबकि, एनकोर असेट ने वित्तीय आ 2002 (सरफार	
	l : October 05, 2023 : Noida			Barkha Company S		पठित प्रतिभूति करते हुए एक अरोड़ा (क ज
		पिंपरी	, पुणे-	ानगरपालिव 411018 प विभाग	ы,	(सह-कर्जदार रू. 1,38,83,25 पैसे बयालीस के साथ, उक्त कर्जदार, सह- अघोहरताक्षरी
निविदा नोटीस क्रमांक-39/03/2023-2024 शुद्धीपत्रक -1					को सूचना दी नियम 8 के रू प्रदत्त शक्ति 04–10–2023	
	सदर निविदेम	धील खालीत	त कामां	चा स्विकृती दि	नांक-	कर्जदार, सह– नीचे वर्णित स

19/10/ 2023 दु. 3.00 वाजेपर्यंत वाढविणेत येत आहे. इतर तपशिलात कोणताही बदल नाही.

निविदा स्विकृती दिनांक व वेळ	कामांचा अनुक्रमांक
दिनांक −19/10/2023 वेळ– दु.3.00 वाजेपर्यंत	1, 2 व 3
एकूण 3 कामे तांत्रिक लिफाफा दि. 23/10/2023 रोर्ज (शक्य झालेस) उघडणेत येईल.	ो दु. 3.00 वा. सही/–

(प्रमोद ओंभासे)

मुंबई -400063

सह शहर अभियंता

र्पिपरी चिंचवड महानगरपालिका /कावि/365/2023 पिंपरी, पुणे- 411018 11वां तल, नॉर्थ साइड, आर—टेक पार्क, ANCe वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव (ईस्ट),

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु) नियम 8(1) देखें

किया जाता है।

बंबर — 76 सी

तिथि : 04–10–2023

स्थान ः नई दिल्ली

रिकंस्ट्रवशन कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने अनुबंध दिनांकित 31 मार्च, 2022 के माध्यम से आरएआरसी 071 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसिर ि एकरदेशरोग कम्पना (लोनट-ऊ क प्राह्मकुत आवकार ने अनुबंध (नेनाकित 3) नाच, 2022 क नाव्यन से आर्थआरसी (07) इस्ट क हरेटा का शिख लोय आरितों का प्रतिमुत्तिकपर और पुनीनोगना तथा। प्रतिमुत्ति किर प्रवर्तन अधिनियम 2022 के ओम और प्रतिमुति किर (प्रवर्तन) नियमवादी, 2002 इन घारा 13(12) के अधीन उसको प्रवस्त शतिनयों का प्रयोग करसे हुए मांग सूचना विनातिक 07–02–2022 जारी की थी, जिसमें निम्मवर्णित कर्जवा या राशि का मुगतान उबल सूचना की प्रायित की तिथि से 60 विन के भीतर करने की मांग की गई थी। राशी बुकाने में विकलर रहे हैं, कतः कर्जवार तथा गारंटरों और सर्वसाधारण को एतदायार यूचना वी जाती है कि अधोहस्ताकारी ने उक्त अधिनियम त त उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उसको प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करसे हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 29–09–2023 को प्राप

से कर्जवार एवं गारंटरों को तथा जनसाधारण को इस सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबं रिलायंस असेट रिकंस्ट्रनशन कम्पनी लिमिटेड की बकाया राशि तथा उस पर व्याज के अधीन होगा। प्रत्यामूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओ

कर्जदार / गारंटर	बंधक सम्पत्तियों का वर्णन	1. कब्जा की तिथि 2. मांग सूचना की तिथि 3. बकाया राशि (फ. में)					
कर्जवार / सह–कर्जवारों का नाम और उनका पता – नरेश कुमार , योगेश कुमार आर्य, दयानंद शिक्षा संस्थान – कला रोड, विकास नगर, रेवाड़ी, हरियाणा–123401 ऋण खाता स. : 189138000002 स्वीकृत ऋण राशि रू. 24,48,475/– (रू. चौबीस लाख अड़तालीस हजार चार सौ पचहत्तर मात्र)	नंबर 9/2/1 (5-17), जिसमें इसका क्षेत्रफल परिमाँप 3/234वां हिस्सा यानी 1.5 मरला तथा खेवट नंबर 2233, खतीनी नंबर 2252, मुस्टरिल नंबर 105, किला नंबर 2/2/2 (3-8), जिसमें इसका क्षेत्रफल परिमाप 1/136वां हिस्सा यानी 0.5 मरला, इस प्रकार कुल 02 मरला यानी 46 वर्ग गज, जो हाति नगर (साधु शाह नगर), रेवाड़ी–123401, हरियाणा में स्थित है। नक्से के अनुसार बौहद्दी – पूरब : प्रकाश की सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : रास्ता, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति 2 भू खंड परिमाप द्यानंद शिक्षा संस्थान – अलवर, खसरा नंबर 01 (0–15 बीघा),	2. 07-02-2022 3. रू. 29,11,014 /- (रूपए उन्सीस लाख ग्यारह हजार चौदह मात्र) 07-02-2022 तक बकाया तथा 08-02-2022 से पूर्ण भुगतान तक					
तिथि : 05-10-2023 स्थान : रे	िथि : 05–10–2023 ज्यान : ऐवाडी हरियाणा (प्रधिकत अधिकारी) रिलायंस असेट रिकंस्टकान कस्पनी लिसिटेड						

युको बैंक 🕑 UCO BANK विशेष प्रचालन विभाग, 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. 1, अंसल क्लासिक टॉवर, ब्लॉक जे, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली—110027 🗅 HDFC BANK (मारत सरकार का एक उपक्रम) प्रधान कार्यालय — II, सूचना प्रौद्योगिक 3 और 4, डीडी ब्लॉक, सेक्टर —1, साल्ट लेक, व कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट के अनुसार) निविदा की सूचना ्रातिगूता हत प्रवतना नियनावला, 2002 कं नियन 8(7) कं साथ पाठत पारशेष्ट के अनुतार) चुकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहरताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसपर मावी व्याज व सहित माच्यम से ओडिशा राज्य में सीएसपी प्लस बैंकिंग आउटलेट की स्थापना के लिए विभिन्न हार्डवेयर वस्तक गपना तथा रखरखाव माध्यम से वापसी खरीद के विकल्प के अंतर्गत चार की संख्या में 10 केवीए यूपीएस तथा बैटरीयों व 11 और रखरखाव। अधाहरतावारा ने उसरे पूर्वना का आपरे का तिर्वित्त के प्रतिर उसपरे मांवा ब्याज व साहत 01.05.2023 तक उसपर ब्याज और 30.04.2023 तक मांग सूचना में वर्णित राशि रु. 5,00.98,474. 23./— (रुपए पांच करोड़ अठानवे हजार चार सौ चौहत्तर व तेईस केवल) का मुगतान करने के लिए ऋणी(यों) मैसर्स दुर्गा एजॅसिज प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके निवेशक श्री राजेंद्र प्रकाश गोयल, श्री विनय गोयल, श्रीमती रेखा गोयल, श्रीमती निधि गोयल, गिरवीकर्त्ता(ऑ) माध्यम से तीन वर्ष के सौफ्टवेयर आश्वासन के साथ लाइसेंसों की खरीद। सॉफ्ट विजुअल स्टुडियो 2022 आईडीई .gov.in वेबसाइट के लिए कृपया https:/ (उप-महाप्रबंधक) सूचना प्रौद्योगिकी विषा स का । H एनकोर असेट रीकंस्टक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 137, सेक्टर-44, गुरूग्राम-122002, फोन : 0124-4527200 क्र.सं. नियम 8(1) कब्जा सूचना : रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी) के प्राधिकृत अधिकार गरितयों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम सी ऐक्ट. 2002) के अधीन तथा सरफासी ऐक्ट. 2002 की धारा 13(12) के साथ ते हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग क **मांग सूचना दिनांकित 05-07-2023** जारी की थी, जिसमें कर्जदार **श्री राजेश** र्जदार), श्रीमती सुमन अरोड़ा (सह–कर्जदार), श्रीमती सविता बजाज र/बंधकदाता) से उक्त सूचना में वर्णितानुसार 19-03-2023 तक बकाया राशि 98.42/- (रूपए एक करोड़ अड़तीस लाख तिरासी हजार दो सौ अठ्ठानवे तथ मात्र) का भुगतान, वास्तविक भुगतान/वसूली तक आगे संविदात्मक दर पर ब्याज त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी –कर्जदार, गारंटर एवं बंधकदाता उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वार द्वारा एनकोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कर्जदारों तथा सर्वसाधारण र्त्त जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 व साथ पठित सरफासी ऐक्ट, 2002 की घारा 13 की उप–घारा (4) के तहत उसक ायों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब CIN: L29130DL1987PLC027342 3 को ले लिया है। पंजी. कार्यालयः 601, हेमकंट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, –कर्जदारों गारंटरों एवं बंधकदाताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को य नई दिल्ली – 110019 नीचे वर्णित सम्पत्तियां के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उक्त फोन.: 011-26427104; फैक्स: 011-26427100 संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार एनकोर एआरसी की 19–03–2023 तक बकाया राशि ई—मेन: jbml.investor@jbmgroup.com; रू. 1,38,83,298.42/- (रूपए एक करोड़ अड़तीस लाख तिरासी हजार दो सौ अठ्ठानवे तथा वेबसाइट: www.jbmgroup.com **पैसे बयालीस मात्र) (+) उस पर 20–03–2023** से आगे वास्तविक भुगतान⁄वसूली तब तंविदात्मक दर पर ब्याज (–) चुकाई गई / वसूल की गई राशि, यदि कोई, के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियां (प्रतिभूति सम्पत्तियां) छुड़ाने के लिए, उपलब समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष अचल सम्पत्ति का वर्णन ालैट नंबर 77—सी, एमआईजी, डीडीए पलैट, द्वितीय तल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली, कवर्ड एरि 900 वर्ग फीट, जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है :-- उत्तर : रोड (नीचे), दक्षिण : रोड (नीचे)/रो के पार पार्क (नीचे), पूरब : रोड (नीचे), पश्चिम : उक्त पलैट का प्रवेश∕कॉमन स्टेयरकेस∕पलै हस्ता. /— (सौमित्र आचार्य) प्राधिकृत अधिकारी एनकोर असेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

भी राजंद्र प्रकाश गांयल, भी विनय गांयल, श्रीमती रेखा गांयल, श्रीमती निधि गांयल, गिरवीकत(आ) श्रीमती निधि गांयल और गारंटर(ऑ) श्री राजेंद्र प्रकाश गांयल, श्री विनय गांयल, श्रीमती रेखा गांयल, श्रीमती निधि गांयल को बुलाने के लिए मांग सूचना दिनांक 26.06.2023 जारी की थी। ऋणी(यों)/गारंटर(ऑ) श्रीर गिरवीकर्ता(ऑ) राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी(यों)/गारंटर(ऑ) और गिरवीकर्ता(ओं) और संवंसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रतत्त शतिरायों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संयत्ति पर नीचे वर्णित अनुसार 30 सितंबर, 2023, दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणी(यों)/गारंटर(ओं) और गिरवीकर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को एतद्वद्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है संवसावारण का एतदूधारा नाय वागत संपातायों के साथ लग-दन न करने का यतावना दो जाता है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन व्यय और शुल्कों आदि सहित उपरोक्त अनुसार 01. 06,2023 तक उसपर व्याज और 30.04.2023 तक राशि रु. 5,00.88,474.23/— (रुपए पांच करोड़ अठानवे हजार चार सौ चौहत्तर व तेईस केवल) के लिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अधिकार का विषय होगा। ऋणी का ध्यान प्रतिमूतित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है। अचल संपत्ति का विवरण संपत्ति का विवरण स्वामी का नाम संपत्ति नं. 5 / 43 का भाग, खसरा नं. 642, गांव, चंद्रावली, शाहदरा बड़ा बाजार, शाहदरा, दिल्ली—110032 प्रेषिती नं. 4 के स्वामित्व में श्रीमती रेखा गोयल ग्राउंड फ्लोर निर्मित संपत्ति नं. 360—381 का भाग, खसरा नं. 642, वार्ड नं. 81, गांव चंद्रावली शाहदरा, अनाज मंडी, शाहदरा दिल्ली प्रेषिती नं. 4 के स्वामित्व में श्रीमती रेखा गोयल पहली व दूसरी मंजिल निर्मित संपत्ति नं, 380—361 का भाग, खरारा नं, 642, वार्ड नं, 81, गांव चंद्रावली शाहदरा, अनाज मंडी, शाहदरा दिल्ली प्रेषिती नं. 4 के स्वामित्व में श्रीमती रेखा गोयल पारिस्पा प्रदेश प्रसित ने के स्वानिस् ने 1225, पुरानी संपत्ति 4 पूरी दूसरी मंजिल निर्मित संपत्ति नं. 1V / 1225, पुरानी संपत्ति 448–बी, खसरा नं. 1453 / 624, प्लॉट नं. 41, गली नं. 3 व 4 मोला नाथ नगर, शाहदरा दिल्ली प्रेषिती नं. 4 के स्वामित्व में स्थान : नई दिल्ली, तिथि : 30.09.2023 प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि. जय भारत मारूति लिमिटेड

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समकक्ष र्हपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013–धारा 13(4) के मामले में और जय मारत मारूति लिमिटेड के मामले में (CIN: L29130DL1987PLC027342)

जिसका पंजीकृत कार्यालय 601, हेमकुंट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेंस, नई दिल्ली—110019 में स्थित है। ..आवेदक कंपनी

नोटिस रतदद्वारा आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी का अपने पंजीकृत कार्यालय का स्थान रा.रा.क्षेत्र दिल्ली से हरियाणा राज्य में परिवर्तित करने में समर्थता हेतु इसके सदस्यों द्वारा 16 सितंबर, 2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के अनुरूप इसके संगम ज्ञापन के खंड II में बदलाव की पुष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना हो, वह या तो एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दायर करके अथवा अपनी आपत्तियां उनके समर्थन में एक शपथ पत्र, अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार का उल्लेख करते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग, दूसरा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरा तल, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली—110003 के पास पंजीकृत डाक से प्रस्तुत कर सकता है, साथ में एक प्रति आवेदक कंपनी को इसके पंजीकत कार्यालय पर ऊपर बताए गए पते पर मेजें। कृते जय भारत मारूति लिमिटेड

दिनांकः अक्टूबर 5, 2023 <u>स्थानः दि</u>ल्ली

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेत)

रवि अरोड़ा कंपनी सचिव DCB BANK

जबकि. डीसीबी बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्या, 3) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे तालिका में उल्लेखानसार मांग नोटिस जारी किया था जिसमें नामित कर्जदारों, सह–कर्जदारों ∕ जमानती से नोटिस में उल्लिखित राशि को लक्त नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया।

कर्जदार और सह–कर्जदार द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार, सह–कर्जदार/जमानती और सर्व सामान्य को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अध्यादेश की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का नीचे तालिका में उल्लिखित तारीखों को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार, सह–कर्जदार∕जमानती तथा सर्व साधारण को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन मांग नोटिस में उल्लिखित राशि और इस पर आगे की ब्याज के लिए डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

শ. শ	करार सं.	कर्जदार, सह—कर्जदार, जमानतियों और विधिक उत्तराधिकारियों के नाम	मांग नोटिस की तारीख व राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
1.	DRHLGHZ00490102	यतेन्दर कुमार शर्मा, गोपाल शर्मा, मंजू शर्मा और चेतन शर्मा	03—07—2023/ रु. 13,15,575.95/- दि. 03.07.2023 को देय	खाता नं. 00142 का भाग, खसरा नं. 547 का भाग, गाँव– सराफाबाद, पंडित कालोनी, सेक्टर–73, परगना व तहसील– दावरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–203207	30-09-2023
2.	DRHLDEL00506976	कमालेश कुमार सिंह (चूंकि मुतक), विजेन्दर कुमार सिंह और रेखा देवी	10032023 / रु. 18,01,711 / - दि. 10.03.2023 को देय	खसरा नं. 212/1, गॉव– अकबरपुर बहरामपुर, खरातीनगर, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102	30-09-2023
3.	DRMHGHZ00435455	कप्तान सिंह और चंदर रेखा राठौर	01—07—2023 / रु. 11,49,304.61 / – दि. 01.07.2023 को देय	खसरा नं. 206/19 का भाग, रघुनाथ कालोनी, गाँव– अकबरपुर बहरामपुर, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009	30-09-2023
	ांक : 06.10.2023 न : उत्तर प्रदेश				— न्त अधिकारी ो बैंक लिमिटेड

(37) श्री कृष्ण चंद	(प्रतिवादी – 37)		
निवासी मकान नंबर 30ए, पाइन होम्स, ढकोली।			eli/
(44) श्री समीर शर्मा	(प्रतिवादी – 44)		
निवासी मकान नंबर 1431, सेक्टर23–बी, चंडीगढ़।			Asset Rec
(45) श्री कमाल रजा पुत्र स्व. मोहम्मद समीम	(प्रतिवादी-45)		ग परिसंपत्ति
निवासी मकान नंबर सीडब्ल्यू52 एफएफ, मालिबू टाउन, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा।		िनयम	१८(६)केत
(46) श्री विवेक सिंगला पुत्र स्व. मोहन लाल सिंगला	(प्रतिवादी – 46)	एतद् र	द्वारा आम तं
निवासी मकान नंबर 765, सेक्टर21, पंचकुला, हरियाणा।		वर्णित	अचल/चत
(47) श्री मोहन लाल सिंगला	(प्रतिवादी – 47)	कि, रे	লিয় চার্ড
निवासी मकान नंबर 765, सेक्टर21, पंचकला, हरियाणा।		(आर	एआरसी) व
(48) श्री साहिल सिंगला	(प्रतिवादी – 48)	अपने	ऋण खातों
निवासी मकान नंबर 1–1736, पालम विहार, जीएफ, गुड़गांव, हरियाणा।		बकाय	ा की वसूली
(49) श्रीमती गीतांजलि सिंगला	(प्रतिवादी – 49)		ए, रिलायंग
निवासी मकान नंबर 1–1736, पालम विहार, जीएफ, गुड़गांव, हरियाणा।	())))))))))))))))))))))))))))))))))))))		यों को ई—
(56) श्री प्रेम चंद पत्र स्व. चरणजीत लाल	(प्रतिवादी – 56)		खित उघार
निवासी क्वार्टर नंबर ई1, रेलवे स्टेशन के पास, फेज 11, मोहाली, पंजाब।			<u>के तहत</u> ''ज
(57) श्री भूप सिंह	(प्रतिवादी-57)		प्रकार हैं :
	(9)((4)(4)-57)		
निवासी फ्लैंट नंबर 309, चिनार हाइट, पीरमुछल्ला, पी.ओ. ढकोली, एसएएस नगर, पंजाब।	(लॉट	
(59) श्री मोहित भारद्वाज पुत्र स्व. राज कुमार भारद्वाज	(प्रतिवादी – 59)	लाट सं.	
निवासी फ्लैट नंबर 188 एफएफ, आकाशदर्शन अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज–I, दिल्ली।	(- <u>C</u>	₹1.	
(60) श्रीमती प्रियंका राय	(प्रतिवादी-60)		धर्मेंद्र गोग
निवासी मकान नंबर के2, अपर ग्राउंड फ्लोर, लेफ्ट साइड मालवीय नगर, नई दिल्ली।			बुराड़ी दि संपत्ति :
(61) श्री मोहन सिंह पुत्र स्व. उपेन्द्र कुमार	(प्रतिवादी-61)		समात : अधिकार
निवासी मकान नंबर आरजेड, डी3/140, गली 07, महावीर एन्क्लेव I, पालम डाबरी रोड, नई		1	आबप्रार आबादी/
(66) श्री अमित महल	(प्रतिवादी – 66)		आबादा/ सङ्क, पू
निवासी प्लॉट नंबर 361, औद्योगिक क्षेत्र, फेज−I, पंचकुला, हरियाणा।			संख्य, पू मांग सूच
(67) श्री आशीष मेहल	(प्रतिवादी – 67)		21.04
निवासी प्लॉट नंबर 361, औद्योगिक क्षेत्र, फेज−I, पंचकुला, हरियाणा।			कब्जा क
(76) श्री चांद बेरी	(प्रतिवादी – 76)		
निवासी मकान नंबर 214बी, जीएच 99, सेक्टर20, पंचकुला, हरियाणा।		संप	त्ते का निर्श
(77) श्रीमती दीप्ति बेरी	(प्रतिवादी – 77)	बोर्ल	ो जमा क
निवासी मकान नंबर 214बी, जीएच 99, सेक्टर20, पंचकुला, हरियाणा।		≴ _≠	ीलामी क
(79) श्री मनीष सिंह पुत्र स्व. –रामेश्वर सिंह	(प्रतिवादी – 79)	ي ا	लामी बिक्री
निवासी प्लॉट नंबर 506, पीकेटी बी/1, डीओए फ्लैट, लोकनायक पुरम, बक्करवाला, नई दिल	ली।		संपत्ति को अ
(84) श्री संजय शर्मा	(प्रतिवादी-84)		पैसर्स सी 1
निवासी फ्लैट नंबर 68, न्यू सरभा नगर, पखोवाल रोड, वीपीओ लुधियाना, पंजाब।			ई—नीलामी
(85) श्री संजय शर्मा	(प्रतिवादी – 85)		पंजीकृत क
निवासी फ्लैट नंबर 68, न्यू सरभा नगर, पखोवाल रोड, वीपीओ लुधियाना, पंजाब।			संभावित बो
(86) श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री नवीन शर्मा	(प्रतिवादी – 86)		या Supp
निवासी मकान नंबर 444, सेक्टर 61, चंडीगढ़।		5.	अग्रीम जमा
(87) श्रीमती रितु शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा	(प्रतिवादी – 87)		लिमिटेड,
निवासी फ्लैट नंबर 68, न्यू सरभा नगर, पखोवाल रोड, वीपीओ लुधियाना, पंजाब।			
(88) श्री मनु गोयल पुत्र स्व. वेद प्रकाश गोयल	(प्रतिवादी – 88)		आरक्षित मू
निवासी : फ्लैट नं. 702, ब्लॉक डी–4, जीएच 79, सेक्टर 20, पंचकुला, हरियाणा।		7.	सुधार कर र सफल बोर्ल
समन		'	के मीतर सप
जैसा कि ओए/1096/2017 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 16.09.2	023 को सूचीबद्ध		यदि सफल
किया गया था।			ई—नीलामी
जैसा कि यह माननीय अधिकरण रू. 41,34,40,471/- के ऋण (दस्तावेजों की प्रतियों सहित	आवेदन संलग्न है)		प्राधिकृत अ
की वसूली हेतु आपके विरुद्ध दाखिल इस अधिनियम की धारा 19(4) (ओए) के तहत	कथित आवेदन पर		जिम्मेदारन
समन/सूचना सहर्ष जारी करते हैं।			अधोहस्ताक्ष
अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार, आप प्रतिवादियों को निम्नवत निर्देश वि	या जाता है :		किसी कारण
(i) समन की सर्विस के तीस दिनों के भीतर कारण बताना कि जिस राहत के लिए प्रार्थना की ग	यी उसे स्वीकार क्यों		बोलीदाताअ
न किया जाये।			संतुष्ट करन
(ii) मूल आवेदन की क्रम सं. 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के	अतिरिक्त सम्पत्तियों		उपलब्ध अ
अथवा आस्तियों के विवरणों को प्रकटित करना;			संपत्ति की वि
(iii) आपको प्रतिभूत आस्तियों अथवा मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकटित	अन्य आस्तियों तथा		वहन किया
सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार करने, सुनवाई लम्बित करने तथा सम्पत्तियों के अटैचमेंट हेतु अ	गवेदन को निस्तारित		
करने से निषिद्ध किया जाता है;			Я
(iv) आप उन किसी आस्तियों को सामान्य प्रकार्यों के विषय को छोड़कर जिस पर प्रतिभूति हि	त सजित किया गया	ज्यमाज	कर्ता/सह
है तथा/अथवा मूल आवेदन की क्रम सं. ३ए के तहत निर्दिष्ट अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों क	ो अधिकरण की पूर्व		जाता है, ऐ
अनुमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से हस्तान्तरित नहीं करेंगे;	<i>a</i> .		ए निर्धारित
(v) आप प्रतिभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सामान्य प्रकार्य में सम्पत्तियों की बिक्री ह	तरा वसूलीकृत बिक्री		पर या उसर
कार्यवाहियों हेतु उत्तरदायी होंगे और ऐसी बिक्रीत कार्यवाहियों को बैंक अथवा ऐसी आस्तियों पर			कर्ता/सह-
वित्तीय संस्थानों के खातों में अनुरक्षित करेंगे।	w		य तैयार पं
आपको 25.10.2023 को 10.30 बजे प्रातः पीठासीन अधिकारी के पास एक लिखित वक्त	त्र्य जिसकी एक प्रति	दें। इन	प्त सचना व
आवेदक को देनी है, दाखिल करने तथा उनके समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जात		उधार	कर्ती/सह-
होने पर आवेदन पर सुनवाई की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला दिया जायेगा।			/स्थानांत
26.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा अधिकरण की मुहर सहित			। : दिल्ली,
	हस्ता,/-		节:06. 1
समन जारीकर्ता	प्राधिकृत अधिकारी		: सरफैर्स
त्रहण वसुली अधिकरण-11 चण्ड			: सरपग्स उसे साक

RE	LIANCE	रिलायंस प ११ वां तल, नार्थ साईठ	एसेट रिकस्टूक्शन कम्पनी दि 1, आर 2क पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस डाईवे, गोरेगांव (ईस्ट).	नमिटेड गुम्बई-400083	
As	et Reconstruction	प्रत्याभूत परिसंपत्तियों	बिक्री हेतु सूचना । देखें नियम ७(२) के साथ पा र्तन अधिनियम, २००२ के परंतुक के साथ पठित प्रतिभूति	ठेत नियम 8(6)	
यम ८	(6) के तहत अचल परिसंपत्ति	यों की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूच-			
र्गत अ	चल/चल संपत्तियों का भौतिव	b कब्जा प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत	। अधिकारी द्वारा ले लिया गया है।		
			कन समझौता दिनांक 29.03.2023 के तहत रिलायंस र के ट्रस्टी के पक्ष में अंतर्निहित प्रतिभूतियों के स 1थ अपने 3		
ने ऋ	ण खातों की वित्तीय परिसंपत्ति		कन के आधार पर, हम आपके प्रत्याभूत ऋणदाता बन गए।		
लिए,			गधिकृत अधिकारी द्वारा, आपको 15 दिनों की सूचना दी		
			स्ट्रवर्शन कंपनी लिमिटेड आरएआरसी 080 (आरएचडी) के लिए और मांग सूचना में उल्लेखित राशि की वसूली के वि		
केत	हत ''जो है जहां है'', ''जो	है जैसी है'', और ''वहां जो कुछ भी है'	'' पर दिनांक 03.11.2023 को बेचा जाएगा। आरक्षित मू	त्त्य और बयाना धन र	नमा (ईएमडी)
न प्रव	গৎ টি:	बंधक र	नंपत्ति का विवरण :		
ट		उधारकर्ताओं का नाम, संपर्ि	त्ते विवरण मांग सूचना और कब्जा दिनांक	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1			रेता देवी पत्नी धर्मेंद्र सभी निवासी 76 ग्राम झारोदा म	जरा फ.	
			प्राम झारोदा माजरा बुराड़ी दिल्ली 1 10084 45 वर्ग गज, (यानी 37.63वर्ग मीटर) संग आकाश	14,34,891 /- तक	1,43,489/-
. 🕴	अधिकारों तक छत अधिकार	ों, कुल मापक क्षेत्र 100 वर्ग गज में र	से, ख सं. 40 का भाग, स्थित ग्राम झारोदा मारा बुराई	की	
	भाबादी/लाल डोरा में दिल्ल नडक, पूर्व: सुंदरकी संपत्ति, पा		भाग । सीमांकन निम्न प्रकार: उत्तर: अमर का संपत्ति, दर्षि	क्षणः	
			त्तर हजार एक सौ चौहदा और सत्तर पैसा मात्र) दि	नांक	
	? 1.04.202 1 तक साथ ही ? इब्जा की दिनांक : 17.08.	मविष्यं का ब्याज और लागतों। 2022			
_	का निरीक्षण		। समय : पूर्वाह्न 11.00 से अर्पाह्न 02.00 बजे		
			समय : अर्पाह्न 03.00 बजे तक		
	गमी की दिनांक	: दिनांक 03.11.2023 स	मय : पूर्वाह्य 11.00 बजे से अर्पाह्य 01.00 बजे के बीग	र प्रत्येक ५ मिनट वि	स्तार के साथ
	मी बिक्री के नियम और शर्ते: ति को आरक्षित मल्य से नीचे	नहीं बेचा जाएगा और बिकी प्रत्याभत ऋ	णदाता के रूप में आरएआरसी द्वारा पुष्टि के अधीन है।		
मैर	र्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमि	टेड, प्लॉट सं. 68 गुड़गांव हरियाणा पिन	1 कोड 122003 के माध्यम से ई—नौंलामी ऑनलाइन आय		
			मेल आईडी बना कर और पोर्टल नाम www.banke	auctions.com	गर अपना नाम
			ो उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें। क्ति : श्री विनोद चौहान से मोबाइल +9 1 98 1 388 7 93	31). Deihi@c1	India.com
या	Support@bankeauc	tions.com (हेल्प लाईन सं. 729)	1981124, 25, 26) पर ई-नीलामी ऑनलाइन प्रशि	ण का लाभ उठा सक	ते हैं।
) माध्यम से चालू खाता संख्या 122505002146, बैंव का नाम : आरएआरसी 080 (आरएचडीएफसीएल ए		
IC	IC0001225 में जमा किया	जाएगा। कृप्या ध्यान दें कि चेक/डिमांड	ड्राफ टईएमडी के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।		
	रक्षित मूल्य के नीचे और/या ! बार कर सकते हैं।	रिमडी राशी के बिना की बोलियां स्वीक	गर नहीं की जाएंगी। बोलीदाता अपनी बोली राशि में रु. 5,	२०० प्रति लॉट गुणक	के रूप में आगे
		बाद बोली राशि/बिक्री मूल्य (पहले से	भुगतान किए गए पैसे सहित) का 25% भुगतान करेगा। सफ	ल बोलीदाता की घोष	णा से 15 दिनों
के	मीतर सफल बोलीदाता बॉली र	राशि/बिक्री मूल्य का 75% शेष जमा करें	रेगा, जैसा कि टीडीएस के अधीन लागू हो सकता है।		
			ा रहता है । तो ईएमडी सहित सभी जमाओं को बिना किसी स् ो ईएमडी राशि बिना ब्याज के सात दिनों के मीतर वापस कर		त जाएगी।
. я і	धेकृत अधिकारी द्वारा दिए गए		गैंड के अनुसार सही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि		5 आदि के लिए
	म्मेदार नहीं। होगा। गेहस्ताक्षरित प्राधिकत अधिव	हारी को किसी भी बोली को स्वीकार क	ज्स्ने या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/विलंब/रह	करने या बिना किसी	पर्व सचना या
कि	सी कारण बताए बिक्री के किर्स	ों भी नियम और शतों को संशोधित करने	का पूर्ण अधिकार और विवेकाधिकार है।		
			ो चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति की शी के बारे में कोई भी दावा ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद		बारे में खुद को
ਚਧ	लब्ध अभिलेखों के अनुसार,	अधोहस्ताक्षरी को इस सूचना की दिनांक	ह के अनुसार संपत्तियों पर किसी भी भार के बारे में कोई जान	कारी नहीं है।	
	त्ति की बिक्री पर स्टांप ँड्यूटी, न किया जाएगा।	पंजीकरण शुल्क सहित कोई भी एरियर	र,बकाया, कर, वेट, टीडीएस, जीएसटी, शुल्क चाहे वैधानि	क या अन्यथा हो , के	वल क्रेता द्वारा
40		के लिए, 18001039711/18	602664111/1800309971 से संपर्क किय	ा जा सकता है।	
	<u>प्रतिभूतिहित (प्रवर्त</u>	<u>न) नियमों, 2002 के तहत नियम</u>	<u>(6(2), 8(6) और 9(1) के तहत वैधानिक 15 (</u>	<u>देनों की सूचना है।</u>	
			शि का भुगतान नीलामी से पहले ब्याज और सहायक व्यय 11 और यदि बकाया राशि शेष हुई तो ब्याज / लागत के साथ		
			॥ आर याद बकाया शाश शव हुइ ता ब्याज/ लागत क सार ;, प्रत्याभूत ऋणदाता को किसी भी संभावित खरीदार को		
गपर	या उससे पहले निजी संधि के	माध्यम से इस संपत्ति को बेचने की स्व	ातंत्रता होगी।		
			b वे इस सूचना की दिनांक से 7 (सात) दिनों के भीतर ब ते पर कुछ भी मौजूद है, तो सभी घरेलू वस्तुओं/व्यक्ति		
	सूचना की दिनांक से 7 (स	ात) दिनों की निर्धारित अवधि के भ	ीतर घरेलू वस्तुओं/व्यक्तिगत सामानों को स्थानांतर	रेत करने में विफलव	11 पर, कंपनी
इस व	र्ग / मह_उधारकत्र आं / गार	टरों / बंधककर्ताओं के जोखिम, जिम्मे	विरारियों और लागत पर ''जो है जहां है, जो है जैसा है, 3	गैर वहां जो भी है आ	धार'' पर उसे
स स्क					
स स्क 1/र	थानांतरित करने/निपटान व		बंध में किसी भी पक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी दावे के लिए	जिम्मेदार नहीं होगी।	
सः कः (/२ र :			बंध में किसी भी पक्ष द्वारा उठाएँ गए किसी भी दावे के लिए	जिम्मेदार नहीं होगी।	न्त अधिकारी

री अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी करने के बाद यदि कोई राशि जारी की जाती है, जर करने/वसूली के समय देय बकाया राशि का पता लगाने के लिए गिना जाएगा। सील) मेरे इस्ताक्ष	10.2020 Interaction of the Inter	
	री अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी करने के बाद यदि कोई राशि जारी की जाती है, गर करने/वसूली के समय देय बकाया राशि का पता लगाने के लिए गिना जाएगा।	सील मेरे हस्ताक्ष

14/0									
	65 जन्मालय जगव्यी अधिजन्मी विजीय	कोर्ट नोटिस	ं (बैंक द्वारा)		22.09.2023				
	9/23 कार्यालय वसूली अधिकारी-द्वितीय	स्पोट जोटि	। (बैंक द्वारा)		03.10.2023				
	ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा-।।, किसान भवन के	संपत्ति के	नेरीक्षण की तिथि		30.10.2023				
	सामने, लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टॉक रोड़, जयपुर (राजस्थान)	नीलामी (र्न	लामीकर्ता अधिवव	ता द्वारा)	06.11.2023				
	(क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)								
1	फार्म स	तंख्या 13							
	(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय ३	अनसची के नियम	38, 52(2) के	अन्तर्गत)					
ਸ਼ੁਸ਼		÷ •.			11 2023				
	पंजाब एण्ड सिंध बैंक ब न्		ासह व अन्	म					
	विक्रय की उ	<u>द्वघोषणा</u>							
यह वि	के माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वस्	ली प्रमाण पत्र संख्य	498 / 2022 जो दि	ह मल आवेदन सं ख	खा २०२/२०२ १				
	गंक 23.05.2021 को सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध रूपये 45,64,581.50								
	यय एवं खर्चे सहित वसूल किये जाने योग्य है।								
	यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा संलग्न अनुसूचि में वर्णित बन्धकशुदा सम्पत्ति व								
	यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 02.09.2022 तक ब्याज, बाद व्यय व	खर्चों सहित कुल रा	शि (वसूल की गई र्या	शे के समायोजन व	के पञ्चात) रूपये				
	।0,530.50 पैसे एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते है। तरा यह सुचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में व		6						
	ारा यह सूचित किया जाता है। के किसी स्थर्गन आदेश को अनुपास्थात म 2028999 के द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से दिनांक 06.11.2023 क				તપન્દ્ર ચાહલ મા.				
	वेक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूचि में दिया गया ।				अभिनिश्चित किये				
गये है	, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है।								
	त्ते का विक्रय 'जहाँ है जैसी स्थिती में है' के आधार पर किया जायेगा। यदि नीलाम								
	ा सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उ		यह प्रमाण प्रस्तुत कि	या जाता है कि प्रम	माण पत्र की राशि				
	' व खर्चे सहित अश्रोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जाये प्र हेतु जनसाधारण को स्वयं अश्ववा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु		न्हे। किसी भी अधिक	गी मा भाजा स्वाकि	जो का विक्रम के				
सम्बंध	र वयु जनसावारण का स्थय जवया जावयूत प्रातानचा के जारव चाला लगान वयु 9 में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किस	, जानात्रता कथा जात ते भी रूप में इस सम्प	हि। किसा मा आवक त्ति के विकय में बोली	ारा जा जन्ज व्यास में अधवा सम्पत्ति	जा इन (यक्षय क के अर्जन अधवा				
	के प्रयास में भाग नहीं लिया जावेगा ।								
	य आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूचि में वर्णित शर्तों तथा इसके अन्त								
(1)	संलग्न सूची में दिये गये विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनु	गुसार अंकित है किन्तु	अधोहस्ताक्षरकर्ता उद	ोषणा में किसी जुर्ग	टे, असत्य अथवा				
चूक व	क लिय कृतइ उत्तरदाया नहा हागा। (2) सम्पात्त का आराक्षत मूल्य 28,11 लाख	र रूपथ हागा जिसस व	चूक के लिये करई उत्तरदायी नहीं होगा। (2) सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य 28.11 लाख रूपये होगा जिससे कम मूल्य में सम्पत्ति विक्रय नही की जावेगी। (3) वह राशि						
जिसके द्वारा बोली को बढ़ाया जा सकेगा, नीलामीकर्ता अधिवक्ता द्वारा मौके पर तथ करेगा। (4) बोलीदाताओ को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि वसूली									
সমি			दाताओ को आरक्षित	मूल्य की 10 प्रति	।शत राशि वसूली				
	के द्वारा बॉली को बढ़ाया जा सकंगा, नेलामीकर्ता आधेवक्ता द्वारा मोर्क पर तर कारी-द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अ	रेथे जमा करवायी जा	दाताओ को आरक्षित सकेगी इच्छुक बोली	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से	ाशत राशि वसूली । पूर्व पेनकार्ड की				
सत्या लॉट वं	कारी-ब्रितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अग के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि वह बोली 1	रेवे जमा करवायी जा ववा संस्था की ओर सं लगाने के लिए कानून	दाताओं को आरक्षित सकेगी इच्छुक बोली बोली में भाग ले रहे i न योग्य है एवं उसके द्वा	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से है) प्रस्तुत करने होंग रा लगायी गयी बोग	शित राशि वसूली पूर्व पेनकार्ड की गे। (5) किसी भी ली आरक्षित मूल्य				
सत्या लॉट व से कम	कारी-ब्रितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अग के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि वह बोली 1 नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ता8	रेथे जमा करवाबी जा यवा संस्था की ओर सं लगाने के लिए कानून सरकर्ता के विवेकाशी	दाताओ को आरक्षित ' सकेगी इच्छुक बोली बोली में भाग ले रहे i न योग्य है एवं उसके द्व 1 होगा चदि प्रस्तावित 1	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से है) प्रस्तुत करने होंगे रा लगायी गयी बोग पूल्य स्पष्टतः इतना	ाशत राशि वसूली । पूर्व पेनकार्ड की पे। (5) किसी भी ली आरक्षित मूल्य जपर्याप्त हो जिसे				
सत्या लॉट व से कम् प्राप्त	कारी-ब्रितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अप के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि बहु बोली र नहीं है। उच्चतम बोली को दस्वितर या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ता करना अनुवित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयक अधि	रेथे जमा करवायी जा यवा संस्था की ओर र लगाने के लिए कानून सरकर्ता के विवेकाथी नियम की द्वितीय अ्	दाताओ को आरक्षित सकेगी इच्छुक बोली 1 बोली में भाग ले रहे i न योग्य है एवं उसके द्वा 3 होगा यदि प्रस्तावित 1 दुपूचि के प्रावधानों के	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से है) प्रस्तुत करने होंगे रा लगायी गयी बोग मूल्य स्पष्टतः इतना अधीन विक्रय को	ाशत राशि वसूली । पूर्व पेनकार्ड की गे। (5) किसी भी ली आरक्षित मूल्य अपर्याप्त हो जिसे स्वगित करने का				
सत्या लॉट रं से कम् प्राप्त प्र अधिय	कारी-ब्रितीय, ऋण वसुली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्रापिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अश के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता धोषित कर दिया जावेगा बशर्त कि बह बोली 1 नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहरता करना अनुवित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहरताझरकता को आयकर अधि करा प्रात होगा। (7) जलल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये ज	रेये जमा करवायी जा यवा संस्था की ओर रं लगाने के लिए कानून सरकर्ता के विवेकाधी नियम की द्वितीय अन् ाने वाले व्यक्ति के द्वा	दाताओ को आरक्षित सकेगी इच्छुक बोली 1 बोली में भाग ले रहे i न योग्य है एवं उसके द्वा 1 होगा यदि प्रस्तावित ग पूर्वूचि के प्रावधानों के 11 घोषणा के तुरन्त परु	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से !) प्रस्तुत करने होंगे रा लगावी गयी बोग पूल्य स्पष्टतः इतना अधीन विक्रथ को बात क्रथ मूल्य की	।शत राशि वसूली पूर्व पेनकार्ड की (5) किसी भी ली आरक्षित मूल्य अपर्याप्त हो जिसे स्थगित करने का 25 प्रतिशत राशि				
सत्या लॉट रं से कम् प्राप्त अधिय बरोइन् नहीं ह	कारी-ब्रितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अम के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशर्त कि बह बोली । नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताध करना अनुचित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधि कार प्रारत होगा। (7) अचल सम्पति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये कार प्रारत होगा। (7) अचल सम्पति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये कार प्रारी को स्पायोजित करते हुए नीलायीकर्ता को जया कत्वावी जावेगी। शेष राशि गेगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके परचात प्रथम कार्या	रेथे जमा करवायी जा ववा संस्था की ओर रं लगाने के लिए कानून सरकर्ता के विवेकाधी नियम की द्वितीय अ ने वाले व्यक्ति के द्वा र नीलामी की तिथि रं लय दिवस को ऐसा दि	दाताओ को आरक्षित सकेगी इण्छुक बोली न योग्य है एवं उसके द्व र होगा यदि प्रस्तावित सुद्चि के प्रावधानों के प्राधोषणा के तुरुत्त परु 15वें दिवस तक जमा भवा जा सकेगा। उक्त अ	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से रे) प्रस्तुत करने होंग रा लगायी गयी बोग पूल्य स्पष्टतः इतना अधीन विक्रय को बात क्रय मूल्य की र करनी होगी जिसरं खधि के सीतर धुग	ाशत राशि वसूली । पूर्व पेनकार्क की ली आरक्षित मूल्य अपर्याप्त हो जिसे स्म्बणित करने का 25 प्रतिशत राशि र्मे वह दिन शामिल ातान में व्यक्तिक्रम				
सत्या लॉट रं से कम् प्राप्त अधिय बरोहर विष्ठये विष्ठये	कारी-ब्रितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अग के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशतें कि बह बोली। नहीं है। उचलाम बोली को रसीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ता करना अनुचित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आधकर अधि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये ज राशि को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवादी जावेगी। होग दाशि गेग । यदि 15वां दिन रविवार प्राज्य अवकाश हो तो तसके प्रश्वात प्रथम कार्या गोग । यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो तसके प्रयत्न प्रश्वात प्रथम कार्या जोन पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्यावणा जाति करके कर दिया जावेगा ऐसी स्थिति मे	रेथे जमा करवायी जा ववा संस्था की ओर सं लगाने के लिए कानून सरकतां के विवेकाधी ानियान की हितीय अ ाने वाले व्यक्ति के ह्या ा ने लामी की तिथि से लय दिवस को ऐसा वि र्ण आश्रदा राशि को ब	दाताओ को आरक्षित सर्केगो इष्कुक बोलि । बोली में भाग ले रहे i न योग्य है प्रयंजसके ह्य न होगा वदि प्रस्तावित ग सुद्वि के प्रावधानों के ता घोषणा के तुरत्न परन । 15वें दिवस तक जमा कथा जा सकेगा। उक्त 3 दि अधोहस्ताक्षरकर्ता	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से {) प्रस्तुत करने होंग रा लगायी गयी बो पूल्य स्पष्टतः इतना अधीन विक्रय को बात क्रय मूल्य की करनी होगी जिसमें वचिषि के सीतर भुग द्वारा ठचित समझा प	ाशत राशि वसूली । पूर्व पेनकार्ड की ते। (5) किसी भी ली आरक्षित मूल्य अपर्याप्त हो जिसे (स्वगित करने का र 25 प्रतिशत रापिल में वह दिन शामिल तान में व्यक्तिक्रम के				
सत्या लॉट रं से कम् प्राप्त अधिय बरोहर नहीं है खिर्च ³ खार्चे र	कारी-ब्रितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अभ के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा वशर्त कि अह र नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ता करता अनुवित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपकर अधि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये ज र प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये ज र प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये ज र प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये ज र प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के प्राप्त का क्रेत्र का स्ति क्रेत कर दिया जावेगा प्रेती स्थिति मे आ उत्तर प्राप्त दिन क्रिय जनित उद्योषणा जरी करके कर दिया जावेगा येती स्विति में	रेथे जमा करवायी जा ववा संस्था की ओर सं लगाने के लिए कानून हरकतां के विवेकाधी ाने वाल व्यक्ति के द्वा ा नीलामी की तिथि सं लाबार्श्वस को ऐसा दि जंजवार्श्यस राशि को घ के उक्त सम्पत्ति या राशि	दाताओ को आरक्षित सर्वमेगी इष्ठ्युक बोली । बोली में माग ले रहे i न योग्य है एवं उसके ह्या हमूचि के प्रावधानों के ता घोषणा के तुरन्त परु 1 5वें दिवस तक जमा म्वा जा सकेगा। उक्त 3 दि अधोषुहतासरकर्ता श के किसी भी माग के	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से हे) प्रस्तुत करने हों। रा लगायी गयी बो पूल्य स्पष्टत: इतना अधीन विक्रय को बात क्रय मूल्य की करनी होगी जिसमं बाधी के सीतर धुग द्वारा डचित समझा 1 विषय में अधिकाल	ाशत राशि वसूली पूर्व पेनकार्ड की तो (5) किसी भी ली आरक्षित मूल्य अपर्याप्त हो जिसे स्वगित करने का 25 प्रतिशत राशि देवह दिन शामिल तान में क्यक्तिक्रम जार्ये तो विक्रय के र जब्त हो जायेगें ।				
सत्या लॉट रं से कम् प्राप्त अधिय बरोहर बरोहर किये खार्चे र (8) प	कारी-ब्रितीय, ऋण वसुली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राप्तिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अभ के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता बोथित कर दिया जावेगा बशर्त कि बह बोली 1 नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहरता करना अनुवित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहरताक्षरकर्ता को आयक अधे कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता बोथित किये ज 1 राशि को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवावी जावेगी। शेष राशि [गा। यदे 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके प्रम्वात प्रथम कार्या जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्योवणा जारी करके कर दिया जावेगा ऐसी स्थिति मे समायोजित करते के प्रभ्वात जब्ब सारकार कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में क्रेता दे यूक से अधिक व्यक्तियो से बरोहर राशि प्राप्त होने एवं जर्म से किस्ती भी बोलीदाता	रेथे जमा करवायी जा वया संस्था की ओर रं लगाने के लिए कानून सरकतां के विवेकाधी तियम की हितीथ अ ाने वाले व्यक्ति के द्वा ा नीलामी की तिथि से लब दिवस को ऐसा वि र्ज जमाशृदा राशि को व के वाली नही लगाये	दाताओ को आरक्षित सकेगी इष्णुक बोली । बोली में भाग ले रहे i । बोला यदि प्रस्तावित । सुर्वि के प्रावधानों के तुरन्त परु । उर्व दिवस तक जमा म्या जा सकेगा। उक्त अ दि अधोइस्ताझस्ताकारा । रे के किसी भी माग के जाने पर प्राप्त सभी धरो	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से रा लगावी गयी बो रूप रमष्टतः इतना अचीन विक्रय को बात क्रय मूल्य की करनी होगी जिसमं उद्यारा उचित समझा ' दिषच में अधिकात हर राशि को नियम	ाशत राशि वसूली । पूर्व पेनकाई की गे। (5) किसी घो ली आरक्षित मूल्य अपयांत हो जिसे स्थगित करने का 25 प्रतिशत राशि में वह दिन शामिल प्राच हो विक्रय के एजवा हो जायेगें। ानुसार जब्द किया				
सत्या लॉट रं से कम् प्राप्त अधिय बरोहा बरोहा दे बिरुये खार्चे र (8) प जाना	कारी-ब्रितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाम्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अम के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को केता घोषित कर दिया जावेगा बहातें कि बह बोली। नहीं है। उचकार बोली को स्वीकार था अस्वीकार करने का अधिकार अधीक्षरता करना अनुचित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधि कार प्राल होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये प्रारी को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को जया करवायी जावेगी। होष राशि जाने पर सम्पत्ति विकरते हुए नीलामीकर्ता को जया करवायी जावेगी। होष राशि जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्योवणा जारी करके कर दिया जावेगा ऐसी स्थिति में समायोजित करने के प्रप्रचात जल्म सत्कार कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में समायोजित करने के प्रप्रचात प्रजन राशा करने प्रारं ठेन में से किसी भी बोलीदाता एक से अधिक व्यक्तियो से थरोहर राशि प्राप्त होने एवं उन में से किसी भी बोलीता का	रेथे जमा करवायी जा यवा संस्था की ओर से लगाने के लिए कानून सरकतां के विवेकाधी गियम की द्वितीय अर् गो वालामी की दिसी से गाने वाला की किसि से जमाशादा राशि को द के उक्त सम्पत्ति या ती के बोली नहीं लगाये का य सम्पत्ति के ते उपरे	दाताओ को आरश्चित सरकेगी इष्णुक बोली । बोली में भाग ले रहे i । बोली में भाग ले रहे i र द्वोगा बदि प्रस्ताबित न सुदुबि के प्रावधानों के 11 चोषणा के तुल्त पर 15 वें दिवस तक जमा का के सिली मी भाग के जाने पर प्राप्त सभी धरे न प्राप्त मा 000 /- स्व	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से 5) प्रस्तुत करने हों। रा लगायी गयी बो गूल्य स्पष्टत: इतना अधीन यिक्रय को बक्तरी होगी जिस्सं करनी होगी जिस्सं करनी हो गी जिस्सं करनी हो गी जिस्सं करने हो जी जिस्स प्रयि प्र 2 प्रतिशत जी नियम	ाशत राशि वसूली पूर्व पेनकाई की ली आरक्षित मूल्य अपयांप्त हो जिसे अपयांप्त हो जिसे अपयांप्त हो जिस्तरे क 25 प्रतिशत राशि रें वह दिन शामिल तान में व्यक्तिक्रम राजका हो जायेगे । ानुसार जक्त किया पुचे उसके परुचात				
सत्या लॉट र्व से कम् प्राप्त अधिय बरी ह बिरुये खर्च र (8) र जाना शेष र	कारी-ब्रितीय, ऋण वसुली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राप्तिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अभ के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता बोथित कर दिया जावेगा बशर्त कि बह बोली 1 नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहरता करना अनुवित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहरताक्षरकर्ता को आयक अधे कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता बोथित किये ज 1 राशि को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवावी जावेगी। शेष राशि [गा। यदे 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके प्रम्वात प्रथम कार्या जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्योवणा जारी करके कर दिया जावेगा ऐसी स्थिति मे समायोजित करते के प्रभ्वात जब्ब सारकार कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में क्रेता दे यूक से अधिक व्यक्तियो से बरोहर राशि प्राप्त होने एवं जर्म से किस्ती भी बोलीदाता	रेथे जमा करवायी जा यवा संस्था की ओर से लगाने के लिए कानून प्रास्कर्त के विवेकाशी ाने वाले व्यक्ति के द्वा ा नीलामी की तिथ से जमाशुद्ध राशि को द के उक्त सम्पत्ति या रागि के बेली नही लगाब बोलीदाता को संपति बोलीदाता को संपति	दाताओ को आरश्चित सरकेगी इष्णुक बोली । बोली में धाग ले रहे i न योग्य है एवं उसके हा र होगा बदि प्रस्ताबित न सुदुबि के प्रावधानों के 11 डेवें दिवस तक जमा 15 वें दिवस तक जमा क किसी भी भाग के जाने पर प्राप्त सभी धरें त का निरीक्षण दिनांक का निरीक्षण दिनांक	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से हे) प्रस्तुत करने हों। रा लगायी गयी बो गूल्य स्पष्टत: इतना अधीन विक्रय को बात क्रय मूल्य की करने होगी जिस्स हारा उचित समझा 1 विषय में अधिकान हर राशि को नियम प्राये पर 2 प्रतिज्ञत	ाशत राशि वसूली एवर्र मेनकार्ड की गे। (5) किसी घी अपर्याप्त हो जिसे स्वगित करने का 25 प्रतिशत राशि दे वह दिन शामिल वार्ये तो विक्रय के ए जब्द हि जायेगें। 1नुसार जब्द किया एवं उसके पश्चात ठे प्रमाण पत्न बारी				
सत्या लॉट र्व से कम् प्राप्त अधिय बरी ह बिरुये खर्च र (8) र जाना शेष र	कारी-ब्रितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अग के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशतें कि वह बोली। नहीं है। उचलाम बोली को रसिकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्ष करना अनुचित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के प्राप्त में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये ज रा प्रार को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवा जोवीना के आयक श राशि को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवा चावेगी। शेष राप्ति गा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो तसके प्रमुता प्रयुप्त का गा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो तसके प्रमुता प्रयुप्त का गोन पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्धोषणा जाति करके कर दिया जावेगा ऐसी स्थिति में समायोजित करने के पश्चात जब्द सरकार कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में समायोजित करने के पश्चात जब्द सरकार कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में समायोजित का की स्था से परोहर राशि प्राप्त होने एवं जर्मो से किसी भी बोलीताता अथवा नही वसु विकार की दर से पोउण्डेय फीस का प्रगता न करना होगा (10) इख्युक	रेथे जमा करवायी जा यवा संस्था की ओर से लगाने के लिए कानून प्रास्कर्ता के विवेकाधी गियम की द्वितीय अप् गो वाली की विवि से जा ना वाली की विवि से जा जा सम्पुलि को व के उक्त सम्पति वा गौ के बोली नही लगाये का य सम्पुलि के उपरे बोलीदराता को संपरि तान असफल बोलीर	दाताओ को आरश्चित सरकेगी इष्णुक बोली । बोली में धाग ले रहे i न योग्य है एवं उसके हा र होगा बदि प्रस्ताबित न सुदुबि के प्रावधानों के 11 डेवें दिवस तक जमा 15 वें दिवस तक जमा क किसी भी भाग के जाने पर प्राप्त सभी धरें त का निरीक्षण दिनांक का निरीक्षण दिनांक	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से हे) प्रस्तुत करने हों। रा लगायी गयी बो गूल्य स्पष्टत: इतना अधीन विक्रय को बात क्रय मूल्य की करने होगी जिस्स हारा उचित समझा 1 विषय में अधिकान हर राशि को नियम प्राये पर 2 प्रतिज्ञत	ाशत राशि वसूली एवर मेनकाई की गे। (5) किसी घी अपर्याप्त हो जिसे स्वगित करने का 25 प्रतिशत राशि दे वह दिन शामिल वार्ये तो विक्रय के ए जब्द हि जायेगें। 1नुसार जब्द किया एवं उसके पश्चात ठे प्रमाण पत्न बारी				
सत्या लॉट रं से कम प्राप्त अधिय बरोहा ब्राचे किये र खार्चे र (8) प जाना शेष र बैंक य	कारी-ब्रितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अग के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को केता घोषित कर दिया जावेगा बशतें कि बह बोली। नहीं है। उचलास बोली को स्वीकार था अस्वीकार करने का अधिकार अधीक्षरतां करना अनुचित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधि कर प्राल होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये कार प्राल होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये कार प्राल होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये शरा को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को जया करवावी जावेगी। शेष राशि जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्योवणा जारी करके कर दिया जावेगा ऐसी स्थिति में समायोजित करने के प्रभवात जब्द सरकार कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में क्रेता ये एक से अधिक व्यक्तियो से बरोहर राशि प्राप्त होने पर्य उन में से किसी भी बोलीदाता उपला नडी बसूली अधिकारी के विवेकप्रधीन रहंगा। (9) सल्पत्त बोली शिश पर 1 प्रतिशत की दर से पोउण्डेय फीस का मुगतान करना होगा। (10) इच्छुक की संबंधित शाखा प्रबंधक के द्वारा करवाया जा सकेगा। (11) धरोहर राशि का मुन सम्पत्ति का	रेथे जमा करवायी जा यवा संस्था की ओर रं लगाने के लिए कानुन तियम की द्वितीय अन् ाने वाले व्यक्ति के द्वा ा नीलामी की तिथि सं के उक्त सम्पत्ति या रागि के बोली नदी लगाये कमय सम्पुष्टि के उपरे बोलीदाता का सरफल बोलीद विवरण सम्पत्तिया उसके	दाताओ को आरश्चित सरकेगी इष्णुक बोली । बोली में धाग ले रहे i न योग्य है एवं उसके हा र होगा बदि प्रस्ताबित न सुदुबि के प्रावधानों के 11 डेवें दिवस तक जमा 15 वें दिवस तक जमा क किसी भी भाग के जाने पर प्राप्त सभी धरें त का निरीक्षण दिनांक का निरीक्षण दिनांक	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से !) प्रस्तुत करने हों! तूल्य स्पष्टत: इतना अधीन विक्रय को बात क्रय मूल्य की 'करनी होगी जिस्सं प्रारा डबित समझा 1 विषय में अधिकार हर राशि को निवम प्य पे र प्रतिशत ठा. 10.2023 व लामक्रिता के द्वारा विवाद अगरकोई	ाशत राशि वसूली । पूर्व भेनकाई की गे। (5) किसी भी ली आरवित मूल्य अपर्याप्त हो जिसे स्वगित करने का 25 प्रतिशत राशि रें वह दिन शामिल वार्ये तो विक्रय के राजब्त हो जायेगें। नुसाप पत्र वारी किया जावेगा। बेजोकिसम्पत्तिके				
सत्या लॉट र्व से कम् प्राप्त अधिय बरी ह बिरुये खर्च र (8) र जाना शेष र	कारी-ब्रितीय, ऋण वंसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अग के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशतें कि बह बोली। नहीं है। उच्चता बोली को रसिकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्ष करना अनुचित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आधकर अधि कार प्रारा होगा। (7) अचल सम्पत्ति के प्रायले में सम्पत्ती का क्रेता घोषित किये ज राशि को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को जया करवावी जावेगी। शेष राशि जाने पर सम्पत्ति कित कराणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आधकर अधि कार प्रारा होगा। (7) अचल सम्पत्ति के प्रायल में सम्पत्ती का क्रेता घोषित किये ज राशि को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को जया करवावी जावेगी। शेष राशि जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्धोवणा जाति करके कर दिया जावेगा ऐसी स्थिति में समायोजित करने के प्रञ्चात जब्द सरकार कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में क्रेता र पूरक से अधिक व्यक्तियो से बरोहर राशि प्राप्त होने एवं उनमें से किसी भी बोलीदाता होशि स्व 1 प्रतिशत की दर से पोठण्डेय फीस का मुगतान करना होगा (10) इख्युक की संबंधित शाखा प्रबंधक के द्वारा करवाया जा सकेगा। (11) धरोहर राशि का मुग सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहपालिक का नाम सहित बेची जाने सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहयालिक का नाम सहित बेची जाने	रेथे जमा करवायी जा यवा संस्था की ओर रं लगाने के लिए कानुन सरकर्ता के विवेकाशी तनियम की द्विरीय अर् ा ने लाले व्यक्ति के द्वा र ने वाले व्यक्ति के द्वा ल वा स्वा का के स्था के उक्त सम्पत्ति या रागि के बोली नही लगाये का सम्पत्ति या रागि विव रण किसी माग परराजस्व किसी माग परराजस्व	दाताओ को आरश्चित सकेगी इण्डुक बोली । बोली में भाग ले रहे i न योग्य है एवं उसके द्व । होगा यदि प्रस्तावित : रपुरि के प्रावधानों के ता घोषणा के तुरन्त परु । उन्हें दिवस तक जमा कया जा सकेगा। उक्त अ दि अधोइस्ताझरक्ता 17 के किसी भी भाग के जाने पर प्राप्त सभी घरो न्त प्रथम 1000 /- स् ते का निरीक्षण दिनांक ताओं को उसी दिन नी किसी भी प्रकार के भारका विवरण	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से !) प्रस्तुत करने हों! रा लगायी गयी बो गूल्य स्पष्टतः इतना अर्थान विक्रम्य को बत क्रन्दी होंगी जिससं क्रस्टी होंगी जिससं करनी होंगी जिससं कर ग्रिल के जिसम प्रये पर 2 प्रतिशत 30.10.2023 व लामीक्रेता के द्वारा विवाद अगरकोई संबंधमें आगे आया	ाशत राशि वसूली पूर्व पेनकार्ड की गे। (5) किसी भी ली आरक्षित पूल्य अपर्याप्त हो जिसे स्थागित करने का 25 प्रतिशत राशि र्य वह दिन शामिल राजस हो जायेगे। पूर्व उसके पश्चात तो प्रमाण पन्न धारी किया जावेगा। बैजोकिसम्पत्तिके है पूर्व अन्य कोई ज्ञात				
सत्या लॉट रं से कम् प्राप्त 1 अधिय बरोहम करे (8) ए जाना शेष र हों व रे र	कारी-ब्रितीय, ऋण वंसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अग के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को केता घोषित कर दिया जावेगा बशतें कि वह बोली। कर्ता मुं ही उचलाम बोली को रसिकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ता करता अनुचित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपकर अधि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के प्रमाले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये ज राशि को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवा बावेगी। होग राशि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के प्रमाल में सम्पत्ति को आपकर अधि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के प्रमाल में सम्पत्ति को आपकर अधि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के प्रमाल को ज्या करवाची जावेगी। हो राशि गोग पर सम्पत्ति दिन रखिवार या अन्य अवकाश हो तो उसके प्रष्ठवात प्रथम कार्या जोने पर सम्पत्ति कि कर ते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवाचे पायेगी। हो राशि मा यदि 15वां दिन रखिवार या अन्य अवकाश हो तो उसके प्रष्ठवात प्रथम कार्या का प रास्त कि क्रय नवात उद्दाराणा जारि करके कर दिया जावेगा ऐसी स्थिति में साथवाजित करने के प्रश्वात जब्द सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में केता र त्व से अधिक व्यक्तियो से परोहर राशि प्राप्त होने एवं उनमें से किसी भी बोली(तात आथवा नही वसूली अधिकारी के विवेकाधीन रहेगा। (9) सफल बोलीदाता को शिर प 1 प्रतिप्रता की दर से पोउण्डेय फीस का पुराता करना होगा (10) इच्छुक की संबंधित शाखा प्रबंधक के हारा करवाया जा सकेगा। (11) धरोहर राशि का मुग सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहयालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी	रेथे जमा करवावी जा यवा संस्था की ओर से लगाने के लिए कानून प्रस्कतां के विवेकाधी गियम की द्वितीय अप् गो वाली व्यक्ति के द्वारो रं जमाशुदा राशि को व के उक्त सम्पत्ति या ती लिय के के उक्त सम्पत्ति या ती के बोली नही लगावे क्रम सम्पुल्टि के उपरे बोलीदता को संपति तान असफल बोलीट विवरण सम्पत्तिया उसके किसी भागपर राजस्व जिस्सी भागपर राजस्व	दाताओ को आरक्षित सबेनगी इण्डुक बोली । बोली में पाग ले रहे i न योग्य है एवं उसके हा र होगा यदि प्रस्तावित र र पुरिब के प्रावधानों के 11 चों विश्व सक जमा हम जा के प्रावस्ता ह अधोहस्ताक्षरका त का निरीक्षण दिनांक त का निरीक्षण दिनांक त का निरीक्षण दिनांक तिस्ती भी प्रकार के मा का विवरण विसके लिए सम्पत्ति	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से !) प्रस्तुत करने हों! या लगायी गयी बो मूल्य स्पष्टत: इतना अधीन चिक्रव को बात क्रय सुरुष की कारी कि भीतर मुग द्वारा उचित समझा १ विषय दे 21 प्रतिशत 30.10.2023 व लामीक्रेता के द्वारा विवाद अगरकोई संबंध में आने आवा विविष्टियोंजी	शित राशि वसूली षूर्व रोनकाई की गे। (5) किसी भी लो आरविंश न पूल्य अपर्याप्त हो जिसे स्वर्गित करने का 25 प्रतिशत राशि वड दिन शामिल तान में व्यक्तिक्रम जर्षे तो विक्रय के ए जब्स हो जायेगे। नुसार जब्दा किया जिम्पा जावेगा। है जो कि सम्पत्ति के के प्राके पुल्य प्रदे				
सत्या व लॉट व मे कम् आ कि ये अधिय अधिय जना शिष र बैंक ट लॉट की संख्या	कारी-ब्रितीय, ऋण वंसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतितिलगी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अभ के लिए सर्वोच्च बोलीवाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा झरतें कि अह बोली 1 नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोड्सता करना अनुवित हो। (८) लिखित कारणों से अधोडस्ताक्षरकर्ता को आपकर अधि कार प्रापत होगा। (७) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये ज राशि को स्पायोजित करते हुए नीलापीकर्ता को ज्या करवावी जावेगी। होग राशि तेग पर सम्पत्ति विक्रय नवार अत्य अवकाश हो तो उसके पश्चात प्रथम कवाति गोगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात प्रथम कवाति गोगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात प्रथम कवाति गोग पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्योषणा जारी करते कर तिया जावेगा ऐसी स्थिति मे समयोजित करने के पश्चात जच्च सरकार कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में क्रेता य एक से अधिक व्यक्तियो से परोव्हर राशि प्रात होने एवं उनमें से किसी भी बोलीदाता की संबंधित शाखा प्रबंधक के हारा करवाया जा सकेगा। (१) सफल बोलीदाता को वि शिर पर 1 प्रतिशत की दर से पोउण्डेय फीस का मुगतान करना होगा (10) इज्खुक हो संबंधित शाखा प्राव्वक के हारा करवाया जा सकेगा। (11) धरोहर राशि का मुग सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहपालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवण्प जव्व सरकारिक का नाम सहित की जी	रेथे जमा करवावी जा यवा संस्था की ओर दे लगाने के लिए कानून प्रस्करां के विवेकाधी गियम की द्वितीय अप् गो वाली व्यक्ति के द्वार रा नीलामी की तिथि से काय सम्पुन्टि के उपरे को बोलीदाता को संपरि तान असफल बोलीर विवरण सम्पत्तिया उसके किसा मारूप्यांकन किसा मारूपा है	दाताओ को आरश्चित सबेनगी इण्डुक बोल्पी । बोली में पाग ले रहे i न योग्य है एवं उसके द्व र होगा यदि प्रस्तावित र रपुवि के प्रावधानों के 11 चों पत्र या के पुल्त पर 15 वें दिवस तक जमा हे आधो हुस्ताक्षरकतों गै 15 वें दिवस तक जमा हे पा प्राप्त सर्ज मा 1000 /- र ते का निरीक्षण दिनांक ता को निरीक्षण दिनांक ति सा निरीक्षण दिनांक के भारका विवरण जिसके लिए सम्पत्ति वित्तरादा यी है	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से 5) प्रस्तुत करने हों। रालगायी गयी बो मूल्य स्पष्टत: इतना अधीन चिक्रव को बात क्रय सुरूष की कस्ती होगी जिसमं कस्ति होगी जिसमं कस्ति हो की नियम प्रवे पर 2 प्रतिशत 30.10.2023 व लामीक्रेता के द्वारा विवाद अगरकोई संबंध में आने आवा विवाद आरकोई प्रकृतिप्रम	1शत राशि वसूली 1 पूर्व भेनकाई की 11 (5) किसी घी लो आरविंशत मूल्य 3पर्याप्त हो जिसे स्वागित करने का 25 प्रतिशत राशि यह देन शामिल तान में व्यक्तिक्रम जार्वे तो विक्रम के जार्वे तो विक्रम के जार्वे तो विक्रम के लाक्स हो जायेगे। किया जावेगा। है जो कि सम्पत्ति के के प्रायं अपने पर्वे वा है प्रयं अपने पर्वे वा के प्रयं जाते हा के प्रयं का क्रि प्रयं का है प्रयं अपने पर्वे के के प्रयं का कि				
सत्या ते कम् लॉट र्व कम् अधिय अधिय अधिय जाना शेष र बॉक य लॉट की संख्या 1	कारी-ब्रितीय, ऋण वंसुली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अम के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशर्त कि बह बोली। र नहीं है। उचलाम बोली को सेविकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ता करना अनुचित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपकर अधि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किवे ज र प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किवे ज र प्राप्त हो समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवाथी जावेगी। हो राप्ति कार प्राप्त हो स्मायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवाथी जावेगी। हो राप्ति को समयोजित करते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवाथी जावेगी। हो राप्ति का र सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्योधणा जरी करके कर दिया जावेगा ऐसी स्थिति में समायोजित करने के प्रश्वात जब्द सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता र तूक से अधिक व्यक्तियो से परोहर राशि प्राप्त होने एवं उनमें से किसी भी बोलीदाता अथवा नही वसूली अधिकारी के विवेकाधीन रहेगा। (9) सफल बोलीदाता को शि पर 1 प्रतिकार की दर परोण्डेय पीस का प्राप्ता के ना हो गा (10) इख्लुक ही संबंधित शाखा प्रबंध के हारा करवाया जा सकेगा। (11) धरोहर राशि का मुग सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहयालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह– मालिक है	रेथे जमा करवावी जा यवा संस्था की ओर से लगाने के लिए कानून प्रस्कतां के विवेकाधी गियम की द्वितीय अप् गो वाली व्यक्ति के द्वारो रं जमाशुदा राशि को व के उक्त सम्पत्ति या ती लिय के के उक्त सम्पत्ति या ती के बोली नही लगावे क्रम सम्पुल्टि के उपरे बोलीदता को संपति तान असफल बोलीट विवरण सम्पत्तिया उसके किसी भागपर राजस्व जिस्सी भागपर राजस्व	दाताओ को आरश्चित सकेगी के प्रमा के रहे । बोली में भाग के रहे i ने योग्य है एवं उसके हा र होगा बदि प्रस्तावित उ सुर्वुवि के प्रावधानों के 11 बोषणा के सुरन्त पर 15 वें दिवस तक जमा का पर प्राप्त सभा बरे जाने पर प्राप्त सभी बरे जाने पर प्राप्त सभी बरत्तरावी विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है 4	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से 5) प्रस्तुत करने हों। रालगायी गयी बो मूल्य स्पष्टत: इतना अधीन चिक्रव को बात क्रय सुरूष की कस्ती होगी जिसमं कस्ति होगी जिसमं कस्ति हो की नियम प्रवे पर 2 प्रतिशत 30.10.2023 व लामीक्रेता के द्वारा विवाद अगरकोई संबंध में आने आवा विवाद आरकोई प्रकृतिप्रम	शित राशि वसूली पूर्व रोनकाई की गे। (5) किसी घी लो आरविंश र पूल्य अपर्याप्त हो जिसे स्वारित करने का 25 प्रतिशत राशि तान में व्यक्तिक्रम जार्वे तो विक्रय के जब्द हो जायेने । नुसार जब्द किया जावेगा। किया जावेगा। है जो कि सम्पत्ति के के प्रसंक सूल्य एवं				
सत्या व लॉट व मे कम् आ कि ये अधिय अधिय जना शिष र बैंक ट लॉट की संख्या	कारी-ब्रितीय, ऋण वंसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अग के लिए सर्वोच्च बोलीवारा को केता घोषित कर दिया जावेगा बशर्त कि बह बोली। र नहीं है। उच्चतम बोली को रविकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ता कराना अनुचित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपकर अधि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किवे ज राशि को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवाथी जावेगी। होग राशि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किवे ज राशि को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवाथी जावेगी। होग राशि काने पर सम्पत्ति किवव वद्यीपण जरी करके कर दिया जावेगा ऐसी स्विवि में समायोजित करने के पश्चात जब्द सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में केता र (क से अधिक व्यक्तियो से यरोहर राशि प्राप्त होने एवं उनमें से किसी भी बोलींदाता अथवा नही क्सूली अधिकारी के विवेकाधीन रहेगा। (9) सफल बोलींदाता को छि पर 1 प्रतिप्रात्त की दर में पाउडेय सीस का मुगता करता होगा (10) इच्छुक ही संबंधित शाखा प्रबंध के हारा करवाया जा सकेगा। (11) धरोहर राशि का मुग सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहयालिक का नास सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह- मालिक है 2 निर्णित ऋणी संख्या 1 की अचल संपत्ति-	रेथे जमा करवावी जा यवा संस्था की ओर दे लगाने के लिए कानून प्रस्करां के विवेकाधी गियम की द्वितीय अप् गो वाली व्यक्ति के द्वार रा नीलामी की तिथि से काय सम्पुन्टि के उपरे को बोलीदाता को संपरि तान असफल बोलीर विवरण सम्पत्तिया उसके किसा मारूप्यांकन किसा मारूपा है	दाताओ को आरश्चित सकेगी इष्णुक बोली । बोली में भाग ले रहे i न योग्य है प्रवं उसके हा र होगा बदि प्रस्तावित न सुर्खि के प्रावधानों के 11 कें पि स्व स्व जम्म कर्म जा सर्क जम्म किसी भी भाग के काने पर प्राप्त सभी धरें 11 के किसी भी भाग के जाने पर प्राप्त सभी धरें त का निरीक्षण दिनांक तत्तरा प्रधा 1000 / - स् ते का निरीक्षण दिनांक तत्तरा दार्थी है दे दे स्व लिए सम्पत्ति उत्तररादी है दे इसके अतिरिक्त	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से 5) प्रस्तुत करने हों? रा लगायी गयी बो गूल्य स्पष्टतः इतना उभ्रधीन विक्रय को बत क्रय मुल्य की करती होगी जिस्से ज्विधि के भीतर भुग हारा उचित समझा 1 विषय में अधिका य पर 2 प्रतिशत 30.10.2023 व लामक्रिता के द्वारा विवाद अगरकोई संबंध में आने आया विशिष्टियों जो जि प्रकृति प्रम	शित राशि वसूली पूर्व रोनकाई की गे। (5) किसी घी लो आरविंश र पूल्य अपर्याप्त हो जिसे स्वारित करने का 25 प्रतिशत राशि या उ प्रतिशत राशि जिन्द्रा रा विक्रय के लाक्त हो जायेगे। किया जावेगा। है जो कि सम्पत्ति के है एवं असके प्रस्थात के प्रसंक प्रस्थात है प्रां के सरम्पत्ति के के इसके पुल्य पूर्व ाव रखता है।				
सत्या ते कम् लॉट र्व कम् अधिय अधिय अधिय जाना शेष र बॉक य लॉट की संख्या 1	कारी-ब्रितीय, ऋण वंसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अन् के लिए सर्वोच्च बोलीवारी विकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोइस्ता करना अनुवित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपकर अधि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये ज राशि को स्पायोजित करते हुए नीलापीकर्ता को ज्या करवावी जावेगी। होग राशि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये ज राशि को स्पायोजित करते हुए नीलापीकर्ता को ज्या करवावी जावेगी। होग राशि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये ज राशि को स्पायोजित करते हुए नीलापीकर्ता को ज्या करवावी जावेगी। होग राशि तेन र सम्पत्ति विकाय नवीन उद्धोचणा जपी कारके कर दिया जावेगा ऐसी स्थिति में सायायोजित करने के पश्चात जब्द सरकार कर ली जायेगी एवं उस स्थिति में क्रेता र एक से अधिक व्यक्तियो से परोव्हर गशि प्राप्त होने पूर्व उन्में से किसी भी बोलीदाता आधा नही वसूली अधिकारी के विवेकाधीन रहेगा। (9) सफल बोलीदाता को ति पर 1 प्रतिशत की दर से पोउण्डेय फीस का मुगतान करना होगा (10) इज्युक की संबंधित शाखा प्रबंधक के द्वारा करवाया जा सकेगा। (11) धरोहर राशि का मुन सम्पत्ति के मालिक पृत्र अन्य सहमालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बच्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह– मालिक है <u>य</u> निर्णित ऋगणी संख्या 1 की अचल संपत्ति- Residential Property of 3rd Floor, situated in Plot No. A-	रेथे जमा करवायी जा ववा संस्था की ओर रं लगाने के लिए कानुन सरकरां के विवेकाशी तवियम की द्विरीय अर् ाने वाले व्यक्ति के द्वा न नालामी की तिथि सं लय दिवस को ऐसा वि के उक्त सम्पत्ति या रागि के बोली नही लगाये के बोली नही लगाये के बोली नही लगाये के बोली नही लगाये का सम्पत्ति या उसके किसी माग पर राजस्व किसा गए गया है 3	दाताओ को आरश्चित साकेगी इंग्लुक बोली । बोली में भाग करे रहे i सुरिव के प्रावधानों के र होगा बदि प्रस्तावित न सुरवि के प्रावधानों के 15वें दिवस तक जमा का पर प्राप्त सभी घरें तका निरीक्षण दिनांक तका से कि प्रस्थाति के सा की कि प्रस्था कि सी में प्रकार के सा की कि प्रस्था कि सी जित्त सि क् व क् जित एवं	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से 5) प्रस्तुत करने हों? रा लगायी गयी बो गूल्य स्पष्टतः इतना उभ्रधीन विक्रय को बत क्रय मुल्य की करती होगी जिस्से ज्विधि के भीतर भुग हारा उचित समझा 1 विषय में अधिका य पर 2 प्रतिशत 30.10.2023 व लामक्रिता के द्वारा विवाद अगरकोई संबंध में आने आया विशिष्टियों जो जि प्रकृति प्रम	1शत राशि वसूली पूर्व पेनकाई की गे। (5) किसी भी ली आरक्षित पूल्य अपर्याप्त हो जिसे स्थागित करने का 25 प्रतिशत राशि रे वह दिन शामिल तान में व्यक्तिक्रम को प्रमाण पत्र वाति को प्रमाण पत्र वाति को प्रमाण पत्र वाति के इसके मूल्य एवं व त्सका है। 5				
सत्या ते कम् लॉट र्व कम् अधिय अरोहन् किये जना शेष र जना शेष र की संख्या 1	कारी-ब्रितीय, ऋण वंसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जॉ पित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अग के लिए सर्वोच्च बोलीवारा को केता घोषित कर दिया जावेगा बशर्त कि बह बोली। र नहीं है। उच्चतम बोली को रविकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ता कराना अनुचित हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आपकर अधि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किवे ज राशि को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवाथी जावेगी। होग राशि कार प्राप्त होगा। (7) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किवे ज राशि को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता को ज्या करवाथी जावेगी। होग राशि जोने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्धांचणा जर्शि करके कर दिया जावेगा ऐसी स्थिति में समायोजित करने के पश्चात जब्द सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में केता र (क से अधिक व्यक्तियी से यरोहर राशि प्राप्त होने एवं उनमें से किसी भी बोलींदाता अथवा नही क्सूली अधिकारी के विवेकाधीन रहेगा। (9) सफल बोलींदाता को छि पर 1 प्रतिकार की दे यरोहर राशि प्राप्त होने एवं उनमें से किसी भी बोलींदाता के सि अधिक व्यक्तियी से यरोहर राशि प्राप्त होने एवं उनमें से किसी भी बोलींदाता अथवा नही क्सूली अधिकारी के विवेकाधीन रहेगा। (9) सफल बोलींदाता को छि पर 1 प्रतिकार की दर पे राधिज्वेध पी से का मुगता करता हो गा (10) इण्डुक ही संबंधित शाखा प्रबंध के हारा करवाया जा सकेगा। (11) धरोहर राशि का मुग सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहयालिक का नास सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह— मालिक है निर्णित ऋणी संख्या 1 की अचल संपत्ति -	रेथे जमा करवायी जा ववा संस्था की ओर रं लगाने के लिए कानुन सरकरां के विवेकाशी तवियम की द्विरीय अर् ाने वाले व्यक्ति के द्वा न नालामी की तिथि सं लय दिवस को ऐसा वि के उक्त सम्पत्ति या रागि के बोली नही लगाये के बोली नही लगाये के बोली नही लगाये के बोली नही लगाये का सम्पत्ति या उसके किसी माग पर राजस्व किसा गए गया है 3	दाताओ को आरश्चित सकेगी इष्णुक बोली । बोली में भाग ले रहे i न योग्य है प्रवं उसके हा र होगा बदि प्रस्तावित न सुर्खि के प्रावधानों के 11 कें पि स्व स्व जम्म कर्म जा सर्क जम्म किसी भी भाग के काने पर प्राप्त सभी धरें 11 के किसी भी भाग के जाने पर प्राप्त सभी धरें त का निरीक्षण दिनांक तत्तरा प्रधा 1000 / - स् ते का निरीक्षण दिनांक तत्तरा दार्थी है दे दे स्व लिए सम्पत्ति उत्तररादी है दे इसके अतिरिक्त	मूल्य की 10 प्रति दाता को बोली से 5) प्रस्तुत करने हों? रा लगायी गयी बो गूल्य स्पष्टतः इतना उभ्रधीन विक्रय को बत क्रय मुल्य की करती होगी जिस्से ज्विधि के भीतर भुग हारा उचित समझा 1 विषय में अधिका य पर 2 प्रतिशत 30.10.2023 व लामक्रिता के द्वारा विवाद अगरकोई संबंध में आने आया विशिष्टियों जो जि प्रकृति प्रम	1शत राशि वसूली पूर्व पेनकाई की गे। (5) किसी भी ली आरक्षित पूल्य अपर्याप्त हो जिसे स्थागित करने का 25 प्रतिशत राशि रे वह दिन शामिल तान में व्यक्तिक्रम को प्रमाण पत्र वाति को प्रमाण पत्र वाति को प्रमाण पत्र वाति के इसके मूल्य एवं व त्सका है। 5				